



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 21, 2011/माघ 1, 1932

No. 34]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 21, 2011/MAGHA 1, 1932

प्रोत परिवहन मंत्रालय

(पत्र संक्षेप)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2011

सा.का.नि. 43(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 68) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार जवाहरलाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा पत्तन के लिए बनाई गई और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुबंध में दी गई जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011 को अनुमोदन देती है।

2. यह विनियमावली सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास

कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाता है :—

## 1. संक्षिप्त नाम एवं ग्रारंभ :

- (1) इस विनियमावली का नाम “जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियमावली, 2011” होगा।
- (2) यह विनियमावली महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 एवं 132 के उपबन्धों के अंतर्गत आवश्यक केन्द्र सरकार के अनुमोदन से भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

## 2. अनुप्रयोग :

यह विनियमावली अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत आने वाले पदों सहित अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत सृजित सभी पदों पर लागू होगी।

## 3. परिभाषाएँ :

जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस विनियमावली में :

- (क) “अधिनियम” का अर्थ है महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38)।
- (ख) “सदृश पद” का अर्थ उस पद से है जिसकी सेवा और कर्तव्यों का स्तर एवं वेतन सीमाएँ उस पद के समतुल्य हैं जिसके लिए चयन किया गया है।
- (ग) किसी श्रेणी अथवा पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” का अर्थ है उसे श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 1988 के अंतर्गत समर्थ प्राधिकारी।
- (घ) “मंडल”, “अध्यक्ष”, “उपाध्यक्ष” एवं “विभागाध्यक्ष” के अर्थ वही हैं जो अधिनियम में दिए गए हैं।
- (ङ) “श्रेणी I के पदों”, “श्रेणी II के पदों”, “श्रेणी III के पदों” और “श्रेणी IV के पदों” के अर्थ वही होंगे जो जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियमावली, 1988 के विनियम 4 में दिए हैं।

- (च) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ है किसी श्रेणी अथवा पद पर पदोन्नति अथवा पुष्टि हेतु सिफारिश करने के लिए विनियम 26 के अंतर्गत समय-समय पर गठित की गई समिति ।
- (छ) "सीधी भर्ती" का अर्थ है प्रतियोगी परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों के आधार पर चुना गया व्यक्ति ।
- (ज) "कर्मचारी" का अर्थ है मंडल का कर्मचारी ।
- (झ) "श्रेणी" का अर्थ है अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत बनाई गई एवं मंजूर की गई कर्मचारियों की अनुसूची में निर्दिष्ट कोई श्रेणी ।
- (ञ) "पुनर्ग्रहणाधिकार" का अर्थ है तत्काल या अनुपस्थिति की अवाधि या अवधियों के समाप्त होने पर किसी कर्मचारी द्वारा नियमित आधार पर उस पद को धारित करने का हक जिस पर वह नियमित आधार पर नियुक्त किया गया हो और जिस पर वह परिवीक्षा पर न हो ।  
परन्तु यह कि किसी नियमित पद को धारित करने का हक इस शर्त के अधीन होगा कि उस श्रेणी में यदि पात्र व्यक्तियों की संख्या उपलब्ध पदों की संख्या से अधिक हो तो उस श्रेणी के कनिष्ठतम व्यक्ति को उससे निचली श्रेणी में प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा ।
- (ट) "स्थाई कर्मचारी" का अर्थ है कोई कर्मचारी जिसे किसी स्थाई पद पर अधिष्ठायी रूप से नियुक्त कर दिया गया हो ।
- (ठ) "अनुसूची" का अर्थ है इस विनियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।
- (ঢ) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जनजाति" का अर्थ वही होगा जैसा भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के उपबंध (24) और (25) में दिया है ।
- (ঢ) किसी श्रेणी अथवा पद के संबंध में "चयन सूची" का अर्थ है उस श्रेणी अथवा पद के लिए विनियम 13 के अनुसार बनाई गई चयन सूची ।
- (ণ) "चयन पद" का अर्थ है इस विनियमावली के विनिमय 5 के अंतर्गत घोषित कोई पद ।
- (ত) "सेवा चयन समिति" का अर्थ है सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा, ट्रेड परीक्षा और/या साक्षात्कार द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए विनियम 12 के तहत गठित समिति ।
- (থ) "अस्थाई कर्मचारी" का अर्थ है कोई अस्थाई पद धारित करने वाला अथवा किसी स्थाई पद पर रथनापन्न रूप से कार्य करने वाला अथवा मंडल की सेवा में नियुक्त होने पर परिवीक्षाधीन कर्मचारी ।

#### 4. भर्ती का तरीका

जिन पदों पर यह विनियमावली लागू होती है, उन पर सभी नियुक्तियाँ इस विनियमावली के उपबंधों के अनुसार की जाएंगी। नियुक्तियाँ पदोन्नति, आमेलन या प्रतिनियुक्ति या सीधी भर्ती द्वारा की जा सकती हैं। प्रतिनियुक्ति महापत्तन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्तशासी निकायों, सरकारी कम्पनियों के ऐसे कर्मचारियों में से की जा सकती है जो उस पद के लिए निर्धारित अर्हता मानकों को पूरा करते हों। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः तीन (03) वर्ष की है जिसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है। असाधारण परिस्थितियों में इसे बढ़ाकर पाँच वर्ष तक किया जा सकता है।

परन्तु यह कि विभागाध्यक्ष माने जाने वाले पद और उससे एक स्तर नीचे के पदों के संबंध में सभी रिक्तियों को "भर्ती की संयुक्त पद्धति" अर्थात् पदोन्नति/स्थानांतरण/आमेलन आधार पर प्रतिनियुक्ति और ऐसा न होने पर प्रतिनियुक्ति तथा दोनों रिस्थितियों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा। पदोन्नति/स्थानांतरण पर आमेलन महापत्तनों के उन अधिकारियों में से किया जाएगा जो इस विनियमावली को संलग्न अनुसूची में बताए गए अर्हता मानकों को पूर्ण करते हैं।

#### 5. अनुसूचियाँ

श्रेणी I के पदों के संबंध में भर्ती का तरीका अर्थात् सीधी भर्ती या विभागीय पदोन्नति या आमेलन या प्रतिनियुक्ति द्वारा, योग्यता, आयु, शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुभव की आवश्यकताएँ, पदों का वर्गीकरण - चयन अथवा गैर-चयन पद - और विभिन्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित अन्य मामले इस विनियमावली को संलग्न अनुसूची में दर्शाए जाएँगे। श्रेणी- II, III और IV के पदों के संबंध में भर्ती का तरीका मंडल द्वारा समय समय पर निर्धारित किए अनुसार होगा। अनुसूची में महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 23 के उपबंधों के अधीन तैयार की गई कर्मचारियों की अनुसूची में दर्शाए अनुसार विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत स्थायी और अस्थायी संख्या भी दिखाई जाएगी। यह संख्या महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 27 के उपबंधों के तहत समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। पदोन्नति के मामले में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता मानदंड अनुसूची के कालम 9 में बताई गई सीमा तक लागू होंगे तथा पदोन्नति के लिए अनुभव की आवश्यकता अनुसूची के कालम 12 में बताए अनुसार होगी।

परन्तु यह कि सीधी भर्ती/आमेलन/प्रतिनियुक्ति के लिए विभागाध्यक्षों के मामले में उच्चतम आयु सीमा में केन्द्र सरकार द्वारा और अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए निम्नलिखित रूप से छूट दी जा सकती है :

- (i) जहाँ न्यूनतम निर्धारित अनुभव 10 वर्ष या अधिक है वहाँ 5 वर्ष तक तथा जहाँ न्यूनतम निर्धारित अनुभव 5 से 9 वर्ष है वहाँ 3 वर्ष तक।

- (ii) ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जो भूतपूर्व सैनिक हो अर्थात् भारतीय रक्षा बलों का भूतपूर्व कर्मचारी हो और जिसने रक्षा बलों में कम से कम 6 माह की निरंतर सेवा की हो, उसे यदि रिक्त भूतपूर्व सैनिकों और युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों के आश्रितों के लिए आरक्षित हो, तो रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि के बराबर अवधि तथा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी तथा यदि रिक्त अनारक्षित हो तो उसके द्वारा रक्षा बलों में की गई सेवा की अवधि के बराबर छूट दी जाएगी । साथ ही,
- (iii) अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार छूट दी जाएगी ।

परन्तु यह भी कि चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर के दौरान यदि केन्द्र सरकार का यह मत है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए इन समुदायों से निर्धारित अनुभव रखने वाले उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होंगे तो वह अपने विशेषाधिकार से उन्हें अनुभव की आवश्यकताओं में छूट दे सकती है ।

## 6. खाली पदों का रोस्टर

प्रत्येक श्रेणी के लिए एक रोस्टर रखा जाएगा जिसमें यह दिखाया जाएगा कि किसी खाली पद को सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा भरा जाना है । सीधी भर्ती के लिए आरक्षित कोई पद जिसे सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जा सकता, उसे पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा तथा अगला खाली पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा । इसी प्रकार यदि पदोन्नति के लिए आरक्षित कोई पद पदोन्नति द्वारा नहीं भरा जा सके तो वैसी ही समान विधि अपनाई जाएगी ।

## 7. आरक्षण

- (1) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकार के अधीन पदों पर पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों के आरक्षण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश इस विनियमावली के अंतर्गत आने वाली सभी नियुक्तियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन पदों पर नियुक्तियों के आरक्षण के लिए अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में मारे गए सैनिकों के आश्रितों, खिलाड़ियों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेश भी इस विनियमावली के अंतर्गत आनेवाली नियुक्तियों पर लागू होंगे ।

**8. राष्ट्रीयता, चरित्र, शारीरिक स्वस्थता आदि की शर्तें :**

- (1) किसी भी श्रेणी अथवा पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को -
- (क) भारत का नागरिक होना चाहिए अथवा
  - (ख) नेपाल की प्रजा होना चाहिए अथवा
  - (ग) भूटान की प्रजा होना चाहिए अथवा
  - (घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए, अथवा
  - (ङ) भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से पाकिस्तान, म्यांमार, श्री लंका अथवा केन्या, यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जाइरे, इथियोपिया जैसे पूर्व अफ्रीकी देशों और वियतनाम से आए भारतीय मूल के विस्थापित व्यक्ति होना चाहिए ।

परंतु यह तब जब कि कोटि (क) का अभ्यर्थी अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर मांगे जाने पर राष्ट्रीयता का प्रमाण प्रस्तुत करेगा, साथ ही यह तब, जब कि कोटि (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अभ्यर्थी के पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाणपत्र जारी किया गया होगा ।

परन्तु फिर भी यह कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी राष्ट्रीयता का प्रमाण अथवा अहंता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, उन्हें केन्द्र सरकार से मिलने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तक अस्थायी रूप से यथास्थिति नियुक्त किया जा सकता है । ऐसे मामलों में अस्थायी नियुक्ति की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

- (2) जब किसी विशेष कार्य के लिए नियुक्ति की जानी हो और इस विनियमावली की आवश्यकताओं को पूर्ण करने वाला उपयुक्त अभ्यर्थी मिल पाना संभव न हो तो अध्यक्ष केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से उप-विनियम (1) की किसी आवश्यकता में संशोधन कर सकते हैं अथवा उससे छूट दे सकते हैं ।
- (3) कोई व्यक्ति,
- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा
  - (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो ।

ऐसी किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा जिन पर यह विनियमावली लागू होती है ।

परन्तु अगर विभागाध्यक्षों के विषय में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले

वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा विवाह करने के लिए पर्याप्त कारण हैं तो वे ऐसे व्यक्ति को इस उप-विनियम से छूट दे सकते हैं ।

- (4) अभ्यर्थी को नियुक्त प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि उसका चरित्र और पूर्ववृत्त उसे किसी श्रेणी अथवा पद के लिए योग्य ठहराते हैं । कोई अभ्यर्थी जो न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता का दोषी पाया गया हो अथवा जिसे दिवालिया ठहराया गया हो, किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।
- (5) अभ्यर्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उसमें ऐसे शारीरिक दोष नहीं होने चाहिए जिनके कारण वह मंडल की सेवा में अपने कर्तव्य न निभा सके । ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्त नहीं किया जाएगा जो विभागाध्यक्षों के मामले में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा निर्दिष्ट चिकित्सा जांच की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करता है ।
- (6) यदि यह प्रश्न उठता है कि अभ्यर्थी द्वारा इस विनियम की किसी अथवा सभी आवश्यकताओं को पूर्ण किया गया है अथवा नहीं तो इसका निर्णय विभागाध्यक्षों के विषय में केन्द्र सरकार तथा अन्य सभी मामलों में अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा ।

#### 9. सीधी भर्ती के लिए वर्तमान कर्मचारियों की अर्हता :

जब जिन पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए विज्ञापित किया गया हो तो यदि पहले से सेवा में लगे कर्मचारियों के पास निर्धारित योग्यता और अनुभव हैं तो वे भी आवेदन कर सकते हैं । ऐसे मामलों में आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

#### 10. पदों का विज्ञापन :

- (1) सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली तीसरी तथा चौथी श्रेणी के पदों की सूचना केन्द्रीय/स्थानीय रोजगार कार्यालय को दी जाएगी और अगर रोजगार कार्यालय में योग्य और उचित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो पदों को (महाराष्ट्र) राज्य के अंतर्गत ही प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जाएगा । पहली तथा दूसरी श्रेणी के जिन पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना होगा उन्हें राष्ट्रीय तथा स्थानीय दैनिक और/अथवा रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापित किया जाएगा ।
- (2) जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो जिस माह में पद अधिसूचित/विज्ञापित किया गया है, उस माह की पहली तारीख योग्यता, अनुभव और आयु का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख होगी ।

**11. कुछ मामलों में लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा का अयोजन :**

नियुक्ति प्राधिकारी यह निश्चित करेंगे कि लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा अथवा दोनों परीक्षाएँ आयोजित की जानी चाहिए अथवा नहीं। साथ ही, वे उक्त परीक्षाएँ संचालित करने वाले अधिकारी का नाम, परीक्षा आयोजित करने की विधि और अन्य संबंधित बारें भी तय करेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी लिखित अथवा प्रवीणता परीक्षा के आयोजन के लिए किसी परामर्शदाता अथवा परामर्शी फर्म की नियुक्ति भी कर सकेंगे।

**12. सेवा चयन समिति :**

- (1) विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों के चयन हेतु साक्षात्कार आयोजित करने के लिए उप-विनियम (2) में बताए अनुसार प्रत्येक श्रेणी अथवा पद के लिए एक सेवा चयन समिति होगी।
- (2) पदों की श्रेणी तथा उनके लिए उप-विनियम (1) में उल्लिखित सेवा चयन समिति का गठन निम्नलिखित होगा :

**क) विभागाध्यक्षों के लिए**

पोत-परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)	-	अध्यक्ष
पत्तन के अध्यक्ष	-	सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित किसी अन्य पत्तन के अध्यक्ष या उस क्षेत्र में वृहद अनुभव रखने वाला कोई अधिकारी	-	सदस्य
पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि	-	सदस्य

**ख) श्रेणी I के पदों के लिए**

अध्यक्ष	-	अध्यक्ष
उपाध्यक्ष	-	सदस्य
जिस विभाग में रिक्ति है उसके विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
कार्मिक विभाग के अध्यक्ष	-	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि	-	सदस्य

ग) श्रेणी II के पदों के लिए

उपाध्यक्ष	-	सदस्य
जिस विभाग में रिक्ति है उसके विभागाध्यक्ष	-	सदस्य
कार्मिक विभाग के अध्यक्ष	-	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि

घ) श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों (सामान्य वर्गों) के लिए

उपाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में मंडल के अध्यक्ष द्वारा नामित विभागाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
कार्मिक विभाग के अध्यक्ष	-	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी जो रु. 32900-58000 से कम के वेतनमान में न हों	-	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि

ঙ) श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों (असामान्य वर्गों) के लिए

जिस विभाग में रिक्ति है उसके विभागाध्यक्ष	-	अध्यक्ष
कार्मिक विभाग के अध्यक्ष	-	सदस्य
अध्यक्ष द्वारा नामित एक वरिष्ठ अधिकारी जो रु. 32900-58000 से कम के वेतनमान में न हों	-	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा नामित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति  
और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधि

नियुक्ति प्राधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को भी सेवा चयन समिति के सदस्य के रूप में  
नामित कर सकते हैं जो मंडल की सेवा में न हो किन्तु वह चयन किए जाने वाले  
अभ्यर्थियों के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो। यदि सेवा चयन समिति का कोई सदस्य  
उपलब्ध न हो तो नियुक्ति प्राधिकारी बैठक में हिस्सा लेने के लिए उसके स्थान पर  
समुचित स्तर के किसी और अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं।

- (3) जहां एक से अधिक विभागों की समान श्रेणियों में खाली पदों के लिए साझा चयन द्वारा भर्ती की जानी हो, वहां चयन समिति का गठन प्रत्येक मामले में अध्यक्ष द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

### 13. चयन सूची :

सीधी भर्ती के लिए आरक्षित पदों पर नियुक्ति पर विचार के लिए सेवा चयन समिति अपने आकलन के आधार पर योग्यता क्रम के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों के नाम चयन सूची में रखने की सिफारिश कर सकती है । ऐसी सूची नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी । नियुक्ति प्राधिकारी चयन सूची की वैधता अधिकतम छः महीने अथवा उनके द्वारा नई सूची अनुमोदित किए जाने में से जो भी पहले हो, तक बढ़ा सकते हैं ।

### 14. चयन समिति की सिफारिशों पर विचार एवं तदर्थ पदोन्नति :

सीधी भर्ती की सभी नियुक्तियाँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित चयन समिति की सिफारिश से की जाएंगी ।

परन्तु यह नियुक्ति प्राधिकारी पर निर्भर करेगा कि वे सेवा चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार न करें । किन्तु उसके कारण लिखित में बताए जाने चाहिए ।

साथ ही, यह भी कि जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष का अधीनस्थ अधिकारी हो और वह किसी मामले में सिफारिशों से असहमत हो तो वह असहमति के कारण लिखित रूप से बताएगा और मामला अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा जो उस पर निर्णय लेंगे ।

और यह भी कि किसी बिल्कुल अस्थायी पद अथवा अवकाश रिक्ति अथवा सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किसी रिक्ति को तुरंत भरने की आवश्यकता के मामले में जब चयन सूची समाप्त हो चुकी हो, तो अध्यक्ष एक बार में छः महीने किन्तु एक साल से अधिक नहीं, के लिए तदर्थ आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकते हैं जो रिक्त पद अथवा अस्थायी पद के समकक्ष पद को भरने के योग्य हो :-

- (1) जहाँ अपरिहार्य हो तदर्थ नियुक्ति भर्ती नियमों में बताई गई योग्यता तथा अनुभव की आवश्यकता पूरी करने पर ही होनी चाहिए ।
- (2) अस्थायी पद पर नियुक्ति की कुल अवधि पद की अवधि से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अन्य मामलों में, अस्थायी नियुक्तियों के स्थान पर चयन सूची से नियमित नियुक्ति शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिए ।

**15. सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी :**

किसी व्यक्ति अथवा उसके सम्बन्धियों अथवा भित्रों द्वारा किसी पद पर अभ्यर्थी की नियुक्ति के आवेदन के लिए अथवा उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए सीधे अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से की गई सिफारिश उसे नियुक्त अथवा पदोन्नति के अयोग्य ठहराएगी ।

**16. तथ्यों को दबाना अयोग्यता माना जाएगा :**

अगर यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने जान बूझकर गलत जानकारी दी है अथवा चरित्र संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई है जिसके पता चल जाने पर उसे किसी श्रेणी अथवा पद पर नियुक्ति से सामान्यतः वर्जित कर दिया जाता, तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और अगर वह नियुक्त हो चुका है तो उसे सेवा से हटा दिया जाएगा ।

**17. नियुक्ति आदेश रद्द करना :**

यदि सीधी भर्ती के लिए आरक्षित किसी पद पर नियुक्ति के लिए चयनित कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रस्ताव में उल्लिखित तारीख तक अथवा अगर प्रस्ताव में कोई तारीख न दी गई हो तो प्रस्ताव जारी होने के 30 दिनों के भीतर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किसी विस्तारित अवधि तक कार्य पर उपस्थित नहीं होता है तो नियुक्ति प्रस्ताव रद्द कर दिया जाएगा ।

**18. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए यात्रा भत्ते का भुगतान :**

सीधी भर्ती से भरे गए पदों के मामले में लिखित और प्रायोगिक परीक्षा अथवा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए की गई किसी भी यात्रा का खर्च अभ्यर्थी को (मंडल की सेवा में लगे कर्मचारियों सहित) स्वयं वहन करना होगा । किन्तु लिखित अथवा ट्रेड परीक्षा अथवा साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों को यात्रा भत्ता समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मंजूर किया जाएगा ।

**19. परिवीक्षा अवधि :**

- (i) सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा आमेलन द्वारा किसी पद पर नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को उप-विनियम (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा । किन्तु उन व्यक्तियों को जिन्हें रु. 32900-58000 और उसके आगे के वेतनमानों वाले विभागाध्यक्षों और उप-विभागाध्यक्षों के पदों पर भर्ती की सामासिक विधि के द्वारा आमेलन आधार पर नियुक्त किया गया है, उन्हें परिवीक्षा काल में नहीं रखा जाएगा ।

परन्तु नियुक्ति आदेश में बताए अनुसार अगर नियुक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए हो तो, उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधि आगे न बढ़ाए जाने पर उसे रद्द समझा जाएगा ।

परन्तु जब नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जाती है और उसका वेतनमान अधिकतम रु. 32,400/- से अधिक न हो तो परिवीक्षा अवधि एक वर्ष की होगी ।

परन्तु तीसरी और चौथी श्रेणी के वर्गों में पदोन्नति से नियुक्ति होने पर किसी प्रकार की परिवीक्षा अवधि नहीं होगी ।

परन्तु यदि किसी श्रेणी या पद पर परिवीक्षा अवधि में किसी कर्मचारी को किसी उच्चतर श्रेणी या पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया जाता है तो वह उच्चतर श्रेणी अथवा पद पर अपनी नियुक्ति के कार्यकाल को अपनी श्रेणी अथवा पद की परिवीक्षा पूर्ण करने में शामिल कर सकेगा । इसी प्रकार यदि किसी कर्मचारी को पहले किसी श्रेणी अथवा पद पर स्थानापन्न आधार पर नियुक्त किया गया हो तो वह समान श्रेणी अथवा पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त होने पर उस स्थानापन्न अवधि को (तदर्थ सेवा छोड़कर) उस श्रेणी अथवा पद की परिवीक्षा अवधि पूरी करने के लिए शामिल कर सकेगा ।

- (2) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि एक बार में निश्चित अवधि तक बढ़ाई जा सकती है, किन्तु जब तक कर्मचारी के खिलाफ किसी विभागीय अथवा कानूनी कार्रवाई के कारण विस्तार आवश्यक न हो तब तक ऐसे विस्तारों की कुल अवधि निर्धारित परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी को ऐसा कोई भी विभागीय प्रशिक्षण लेना होगा अथवा विभागीय परीक्षा देनी होगी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके लिए समय-समय पर निर्धारित की जाएगी ।

## 20. परिवीक्षा अवधि के कर्मचारी की पुष्टि :

### (1) सामान्य

- (i) किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान उसकी केवल एक ही बार पुष्टि की जाएगी जो कि प्रवेश श्रेणी में होगी ।
- (ii) पुष्टि का उस श्रेणी में स्थायी रिक्ति की उपलब्धता से कोई संबंध नहीं है । दूसरे शब्दों में कोई अधिकारी जिसने अपनी परिवीक्षा सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो उसे सेवा में पुष्ट किया जा सकता है ।

### (2) जिस श्रेणी में भर्ती हुई है उसमें पुष्टि

- (i) वर्तमान की तरह, नियुक्त व्यक्ति को परिवीक्षा संतोषजनक रूप से पूर्ण करनी चाहिए ।
- (ii) मामले को (पुष्टि के लिए) विभागीय पदोन्नति समिति के समक्ष रखा जाएगा ।
- (iii) जब मामले को सभी ओर से मंजूरी मिल जाएगी तो सेवा में पुष्टि का विशेष आदेश जारी किया जाएगा ।

### (3) पदोन्नति पर

- (i) यदि भर्ती नियमों में कोई परिवीक्षा अवधि निर्धारित नहीं की गई है तो (निर्धारित विभागीय पदोन्नति समिति, प्रक्रिया आदि का पालन करने के बाद) नियमित आधार पर पदोन्नत किसी अधिकारी को वे सभी लाभ प्राप्त होंगे जो उस श्रेणी में पुष्ट हो चुके कर्मचारी को प्राप्त होंगे ।
- (ii) जहाँ परिवीक्षा अवधि निर्धारित है वहाँ नियुक्त प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद अधिकारी के कार्य एवं आचरण का स्वयं मूल्यांकन करेंगे और यदि निष्कर्ष यह निकलता है कि अधिकारी उच्चतर श्रेणी में पदरथ करने योग्य है तो वे यह घोषित करने के लिए एक आदेश जारी करेंगे कि उक्त अधिकारी ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण कर ली है । पर यदि अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है अथवा उसे कुछ समय और देखने की आवश्यकता है तो नियुक्त प्राधिकारी उसे मामले के अनुसार उसी पद या श्रेणी में प्रत्यावर्तित कर सकते हैं जिससे वह पदोन्नत हुआ था या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकते हैं ।

चूँकि जब तक किसी अधिकारी द्वारा संतोषजनक रूप से परिवीक्षा पूर्ण करने की घोषणा नहीं की जाती तब तक पदोन्नति पर पुष्टि नहीं होगी, अतः उसके निष्पादन की गहराई से जाँच की जानी चाहिए और यदि परिवीक्षा के दौरान अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो उसे उसी पद या श्रेणी में प्रत्यावर्तित करने में, जिससे वह पदोन्नत हुआ था, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए ।

### परिवीक्षाधीन कर्मचारियों की पुष्टि :

कोई व्यक्ति जिसकी नियुक्ति स्थायी पद पर सीधी भर्ती से हुई हो और जिसकी परिवीक्षा की निश्चित शर्तें हों, उसे उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की तारीख से ही उस श्रेणी में पुष्ट किया जाना चाहिए । इस बात का निर्णय कि उसे पुष्ट किया जाना चाहिए या उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, आरंभिक परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद जल्द ही अर्थात्, 6 से 8 सप्ताह के अंदर लिया जाना चाहिए और उसकी सूचना कर्मचारी को दी जानी चाहिए तथा अगर अवधि का विस्तार किया जाए तो उसके कारण बताए जाने चाहिए । चाहे विभागीय ग्रन्तोन्नति समिति की बैठक सीधी भर्ती वाले कर्मियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद हो, किसी स्थायी पद पर नियुक्त उम्मीदवार को, जिसकी परिवीक्षा की निश्चित शर्तें हों, उसे उसकी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने की

तारीख से ही उस श्रेणी में पुष्ट किया जाना चाहिए । कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी जो संतोषजनक रूप से प्रगति न कर रहा हो या जो सेवा के लिए अनुचित पाया जाता है, उसे उसकी मूल परिवीक्षा अवधि समाप्त होने से काफी पहले ही उसकी कमियों की सूचना दे दी जानी चाहिए जिससे कि वह अपने को सुधारने के श्रमसाध्य प्रयास कर सके ।

परिवीक्षा के मामले में विभागीय पदोन्नति समिति को अधिकारियों का एक दूसरे के सापेक्ष क्रम नहीं निर्धारित करना चाहिए बल्कि केवल यह निर्णय करना चाहिए कि अधिकारियों ने सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण की है अथवा नहीं । यदि किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का निष्पादन संतोषजनक नहीं है तो विभागीय पदोन्नति समिति यह सुझाव दे सकती है कि उस अधिकारी की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए या उसे सेवा से मुक्त कर दिया जाए ।

## 21. परिवीक्षाधीन कर्मचारी की सेवा मुक्ति अथवा प्रत्यावर्तन :

- (1) विनियम-19 में निश्चित किए अनुसार यदि किसी कर्मचारी की पहली नियुक्ति की परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद उसके आचरण अथवा निष्पादन के आधार पर उसकी पुष्टि पर विचार नहीं किया जाता है तो उसे मंडल की सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा ।
- (2) यदि कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी जो किसी पद का पुनः ग्रहणाधिकार रखता है और विनियम 19 के अनुसार निर्धारित परिवीक्षा अवधि नियुक्ति प्राधिकारी के संतोष पर्यन्त पूर्ण नहीं करता है तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा जिस का वह ग्रहणाधिकार रखता है ।
- (3) यदि कोई परिवीक्षाधीन कर्मचारी उसके निष्पादन अथवा आचरण अथवा विभागीय परीक्षा में असफल रहने के आधार पर पद पर बने रहने के योग्य नहीं माना जाता है तो उसे किसी पद पर पुनः ग्रहणाधिकार नहीं होने पर सेवामुक्त कर दिया जाएगा अथवा अगर उसे किसी पद पर ग्रहणाधिकार है तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा ।

## 22. कुछ मामलों में पुष्टि के लिए विभागीय परीक्षा :

अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे पद निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन पर पुष्टि अथवा पदोन्नति किसी अर्हकारी विभागीय परीक्षा के पास करने की शर्त पर ही की जाएगी । अध्यक्ष समय-समय पर ऐसी अर्हकारी परीक्षा की अन्य बातें जैसे परीक्षा आयोजित करने का तरीका, परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा का अंतराल, अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा पास करने के लिए अधिकतम अवधि आदि भी निर्दिष्ट करेंगे ।

**23. विभागीय परीक्षा में असफल रहने पर प्रत्यावर्तन :**

किसी पद पर पदोन्नत कर्मचारी को समय-समय पर अध्यक्ष द्वारा निर्धारित अर्हकारी विभागीय परीक्षा उनके द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर पास करनी होगी अन्यथा कर्मचारी को प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा। यदि किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए किसी परीक्षा को पास करने की पूर्ववर्ती शर्त हो तो ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए तब तक किसी कर्मचारी पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह निर्धारित परीक्षा पास न कर ले।

**24. वरिष्ठता सूची**

प्रत्येक श्रेणी के लिए कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता दर्शाते हुए एक अद्यतन पदक्रम सूची बनाई जाएगी। सूची में प्रत्येक श्रेणी के स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों को अलग-अलग दर्शाया जाएगा। यह सूची प्रत्येक वर्ष परिचालित की जाएगी।

**25. वरिष्ठता का निर्धारण :**

- (1) किसी श्रेणी में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति और विभागीय पदोन्नति के आधार पर नियुक्त व्यक्ति की परस्पर वरिष्ठता सीधी भर्ती और पदोन्नति के बीच रिक्तियों के अनुक्रम के अनुसार जो कि अनुसूची में बताए गए सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति के लिए आरक्षित श्रेणी के कोटे पर आधारित होगी, निर्धारित की जाएगी। उन मामलों में जहाँ रिक्तियों का विनिमय विनियम (6) के अनुसार रखा गया हो तो वरिष्ठता भर्ती क्रम के अनुसार होगी।
- (2) सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों को परस्पर उसी क्रम में रखा जाएगा जिसमें वे परीक्षा अथवा साक्षात्कार अथवा दोनों में उनके निष्पादन के आधार पर चयन सूची में योग्यताक्रम के अनुसार रखे गए थे। वरिष्ठता क्रम में पहली चयन सूची के उम्मीदवारों को बाद की चयन सूचियों के उम्मीदवार से पहले रखा जाएगा।
- (3) रिक्तियों के पदोन्नति कोटे के विरुद्ध नियुक्त व्यक्तियों को आपस में उसी क्रम के अनुसार रखा जाएगा जिस क्रम में वे विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति के लिए अनुमोदित किए गए थे।
- (4) उप-विनियम (1) एवं (4) में किसी भी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रवृत्त होने से पूर्व निर्धारित की जा चुकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**26. विभागीय पदोन्नति समिति :**

- (1) विभिन्न पदों पर इस विनियमावली के अनुसार पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए कर्मचारियों के नामों की सिफारिश करने के लिए प्रत्येक श्रेणी अथवा पद के लिए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी।

- (2) विभागीय पदोन्नति समिति का गठन वैसा ही होगा जैसा विनियम 12में सेवा चयन समिति के लिए बताया गया है तथा पैनल या नाम-सूची की विधिमान्यता वही होगी जो विनियम-13 में निश्चित की गई है।

### 27. पदोन्नति के लिए चयन का क्षेत्र :

- (1) जहां किसी श्रेणी में एक या उससे अधिक पद निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार फीडर श्रेणी के पद धारण करने वाले कर्मचारियों से चयन द्वारा पदोन्नति की पद्धति से भरे जाने हैं, वहाँ योग्य पद धारण करने वाले तथा पदोन्नति के लिए निर्दिष्ट योग्यता और अनुभव रखने वाले कर्मचारियों पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा यदि वे विचार क्षेत्र में आते हों।
- (2) चयन पद्धति द्वारा पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की सिफारिश करते समय निम्नलिखित पद्धति का पालन किया जाएगा :-
- (क) विभागीय पदोन्नति समिति पदोन्नति के लिए विचारणीय कर्मचारियों का निर्धारित मानदंडों के अनुसार गुणानुक्रम तय करेगी और तदनुसार अधिकारियों को "योग्य" अथवा "अयोग्य" घोषित करेगी। केवल उन्हें, जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "योग्य" घोषित किया गया हो, फीडर श्रेणी में उनकी पारस्परिक वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में रखा जाएगा। वे अधिकारी जिन्हें विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा "अयोग्य" घोषित किया गया हो, उन्हें चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
- (ख) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे पात्र कर्मचारियों पर भी विचार करेगी जो विदेश सेवा अथवा अध्ययन अवकाश पर हों।
- (ग) सरकारी कर्मचारियों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही के लिए पालन की जानेवाली पद्धति पर सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेश सभी यथोचित संशोधनों सहित लागू होंगे।

**टिप्पणी :** रु. 16000-400-20800 या अधिक के वेतनमान के पदों में आमेलन हेतु, जिसके लिए भर्ती की संयुक्त विधि अपनाई जाती है, उनके लिए समग्र श्रेणीकरण का मापदंड "बहुत अच्छा" होना चाहिए। अन्य सभी मामलों में यह मापदंड "अच्छा" रहेगा।

- (3) गैर-चयन पदों पर पदोन्नति के लिए, जहाँ कोई मापदंड निर्दिष्ट नहीं हो, वहाँ चयन का आधार वरिष्ठता और योग्यता होगा।

**28. तदर्थ नियुक्तियाँ :**

तात्कालिक आवश्यकता के मामले में जब विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संस्तुत पैनल के सभी उम्मीदवार नियुक्त किए जा चुके हों, नियुक्त प्राधिकारी फीडर श्रेणी या पद से पात्र एवं उपयुक्त वरिष्ठतम् कर्मचारी को एक बार में छः माह की अवधि तथा अधिकतम् एक वर्ष या विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा नए पैनल की सिफारिश किए जाने में से जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर उस पद पर नियुक्त करेंगे । तदर्थ नियुक्ति करना यदि अपरिहार्य हो तो वह भर्ती नियमों में बताई गई योग्यता, अनुभव के मानकों को पूरा करते हुए ही की जानी चाहीए ।

**29. अनुकम्पा नियुक्तियाँ :**

इस विनियमावली में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष इस विनियमावली में निर्धारित भर्ती की सामान्य प्रक्रिया का त्याग करके मंडल की सेवा के दौरान दिवंगत कर्मचारी पर आश्रित बेरोजगार पुत्र अथवा अविवाहित और बेरोजगार पुत्री अथवा बेरोजगार पति/पत्नी अथवा किसी अन्य सदस्य को तीसरी अथवा चौथी श्रेणी के किसी पद पर नियुक्त कर सकते हैं बशर्ते कि नियुक्त होने वाला कर्मचारी तीसरी एवं चौथी श्रेणी के किसी पद के लिए निर्धारित योग्यता एवं अनुभव रखता हो और अन्यथा रूप से भी उस पद के लिए उचित हो ।

**30. व्याख्या :**

इस विनियमावली को लागू करने में केन्द्र सरकार के समय समय पर संशोधित सभी अनुदेश जो इस विनियमावली के उपबंधों के विरुद्ध न हों और केन्द्र सरकार द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित सभी अनुदेश जो इस विनियमावली में विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किए गए मामलों पर लागू होते हैं, पालन किए जाएँगे ।

जब भी इनमें से किसी विनियम की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न होगा, तो मामले को निर्णय के लिए अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

**31. निरसन और व्यावृति :**

इस विनियमावली के अनुरूप सभी विनियमावलियाँ, प्रक्रियाएँ, पद्धतियाँ, परंपराएँ, जो इस विनियमावली के प्रारंभ होने से पहले लागू थीं, उन्हें निरस्त किया जाता है ।

परन्तु साथ ही यह भी कि निरस्त की गई विनियमावलियों, प्रक्रियाओं, पद्धतियों, परंपराओं के अंतर्गत जारी आदेश अथवा की गई कार्रवाई इस विनियमावली के संगत प्रावधानों के अंतर्गत किए गए माने जाएँगे ।

## जनवाहिनीलाल नेहरू पत्रन च्यास के सामान्य प्रशासन विभाग (मुख्य प्रशासन) में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवतनयान (रु.)	चयन अध्यक्ष नेर- चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	चयन सीधी भर्ती के लिए नियांत्रित (क) आय सीमा, (ख) ईकायिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	परिवेश की नियांत्रित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अनुब्रित
1	प्रशासनिक अधिकारी	4	श्रेणी-।	20600- 46500	चयन	30	अनिवार्यः मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	2 21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.13% पदोन्नति द्वारा - 66.23% पूर्ण कर कर्तव्यार्थी से पदोन्नति द्वारा ।  21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.23% पदोन्नति द्वारा - 33.13%	रु. 13600-32400 के वेतनमान में कार्यालय अधीक्षक के पद पर 5 वर्ष की नियांत्रित सेवा पूर्ण कर कर्तव्यार्थी से पदोन्नति द्वारा ।	

## बाध्यनीयः

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से  
कार्यक्रमिक प्रबन्धनाओंद्योगिक संबंध समाज  
कार्यक्रम कल्याण या सम्बन्धित विषय में  
स्नातकोत्तर उपाधि या विद्यि में स्नातक की  
उपाधि

- (2) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/सरकारी  
उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में सामान्य  
प्रशासन, कार्यक्रम, औद्योगिक संबंध आदि के  
क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव

क्र. सं.	पदनाम सं.	पदे की सख्ता	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अर्थवा- ग्रन्थि पद अधिकार म आयु सीमा (वर्ष)	संघी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	क्षा सौंधी भर्ती के लिए निवारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अन्यव- पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतीनियुक्ति के भावले में भी लागू होंगे	परीक्षा की निवारित अवधि (वर्षों में)	(संघी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/प्रतीनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदानन्तरीय प्रतीनियुक्ति/ भर्ती की जाएगी	अन्युक्ति:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	राहायक प्रबंदहक (प्रशासन)	1	श्रेणी-I	20600- 46500	चयन	अनिवार्यः (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/संकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में सम्माच- प्रशासन, कार्मिक, औद्योगिक संबध आदि के क्षेत्र में पूर्ण लार्ज का अनुभव	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने पर आमेलन/ प्रतीनियुक्ति के द्वारा या दोनों द्वारा न हो पाने की विकल्पि में सौंधी भर्ती द्वारा	क्षा 20600-46500 के बेलामान में 5 वर्ष की नियमित सेवक कर तुके भूत्ता सन्दर्भ कार्मिक अधिकारी/अम कल्याण अधिकारी की पदोन्नति से।	उन अधिकारीयों का आमेलन/प्रतीनियुक्ति के आधार पर चयन किया जाएगा जो किसी महात्मान व्यास में समकक्ष पद या क. 20600- 46500 के बेलामान में सहायक सचिव ग्रेड-I के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके होंगे।	

## बोधनीयः

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से  
कार्मिक प्रबंदहन/औद्योगिक संबध/समाज  
कार्य/अम कल्याण या सञ्चालित विषय में  
स्नातकोन्नर उपाधि या विधि में स्नातक की  
उपाधि



क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	सीधी भर्ती के अश्वा गेर- चयन पद	सीधी भर्ती के अन्य योग्यताएँ	वेतनमान अश्वा गेर- चयन पद	वेतनमान (रु.)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	परिदीक्षा की नियमित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदान्तरित आवश्यन प्रतिनियुक्त द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदान्तरित आवश्यन की जाएगी अनुकूल	
1		2		3	4	5	6	7		9	10	11	12
3										1	13		
4	मुख्य प्रबोधक (प्रशासन) स्थान सचिव	1	श्रेष्ठी। (विभागाधारक)	51300- 73900	चयन	45	अनिवार्यः (1) किसी मानवाधार विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) किसी औद्योगिक/ कार्यालयका/सरकारी उपक्रम के कार्यालयक स्वर्ण में सामान्य प्रशासन, कार्यालयिक संबंध के क्षेत्र में 17वर्ष का अनुमत	लक्ष्य नहीं	संकुल विधि से आवेदन के लिए किसी महाप्रतन न्याय में अव्यवस्थन द्वारा ऐसा समकक्ष पद घारण करने वाले अधिकारी अथवा दूसरी श्रेणी के पत्तों में सचिव पद 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके पर्याप्त की अधिकारी अथवा रु. 36600-62000 के वेतनमान वाले पर्याप्त की श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा तथा दोनों द्वारा न होने पर सीधी नहीं होने पर सीधी नहीं द्वारा न किसी महाप्रतन न्याय में सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/विधि विभाग में रु. 32900-58000 के वेतनमान वाले पर्दे की श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे ।	संकुल विधि से आवेदन के लिए किसी महाप्रतन न्याय में अव्यवस्थन द्वारा ऐसा समकक्ष पद घारण करने वाले अधिकारी अथवा दूसरी श्रेणी के पत्तों में सचिव पद 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके पर्याप्त की अधिकारी अथवा रु. 36600-62000 के वेतनमान वाले पर्याप्त की श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा तथा दोनों द्वारा न होने पर सीधी नहीं होने पर सीधी नहीं द्वारा न किसी महाप्रतन न्याय में सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन विकास/विधि विभाग में रु. 32900-58000 के वेतनमान वाले पर्दे की श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे ।	प्रतिनियुक्त के लिए सरकारी अर्थ-जरकारी सार्वजनिक उपक्रम अथवा स्वयंप्राप्ती निकायों के सामान्य प्रशासन/मानव संसाधन विकास विभाग में समकक्ष पद अथवा सचिव और उसके समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी जो रु. 43200- 66000 के वेतनमान में 2 वर्षों की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों अथवा सामान्य प्रशासन/ मानव संसाधन विकास विभाग में प्रबंधक/ वरिष्ठ उप सचिव तथा उसके समकक्ष पद धारित करनेवाले अधिकारी जो रु. 32900-58000 या उसके अधिक के वेतनमान में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, पर होंगे ।		

**कार्यालयः**

- (1) मानवाधार विश्वविद्यालय/ संस्था दे  
कार्यालयिक प्रबोधन/औद्योगिक संबंध समाज  
कार्यालय कल्याण या सम्बन्धित विषयों में  
स्नातकोत्तर उपाधि अथवा विधि में रानीतक  
की उपाधि

चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्ता  
गोपनीय रिपोर्ट में सम्मु श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से शीघ्र तक  
होना चाहिए ।

जब वाहिनी दूरता तक नहीं पहुँच सकती। के पश्चात् उसके लिए अपनी विद्यमान

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	बगीचरण	वेतनमान (रु.)	चयन	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य वोयार्ड	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य वोयार्ड	परिदेशी भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जागी	अधिकृत
1	उपायकर्ता के निजी साहित्य	1	श्रेणी	20600-46500	चयन	(क) आयु सीमा, (ख) ऐक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(क) आयु सीमा, (ख) ऐक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	रु. 16400-40500 के वेतनमान वाली श्रेणी में विभागाध्यक्ष के निजी सहायक के पद पर 3 वर्ष का कार्य कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति ।	किसी महाप्रबन्धन न्याय में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अध्यक्ष उस श्रेणी में फीडर पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके व्यक्तियों में से आमेलन प्रतिनियुक्ति ।
2	उपायकर्ता के निजी साहित्य	3	श्रेणी	5	चयन	30 अधिकार्यः	(क) नहीं । (ख) नहीं । (ग) नहीं ।	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती होता है ।	रु. 16400-40500 के वेतनमान वाली श्रेणी में आमेलन / प्रतिनियुक्ति के निजी सहायक के पद पर 3 वर्ष का कार्य कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति ।	किसी महाप्रबन्धन न्याय में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अध्यक्ष उस श्रेणी में फीडर पद पर 3 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके व्यक्तियों में से आमेलन प्रतिनियुक्ति ।
3	कम्पटर अनुप्रयोग का ज्ञान	8	श्रेणी	6	चयन	(1) सफ्टवेयर प्राप्ति विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि	(1) सफ्टवेयर प्राप्ति विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि	(2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः अध्युलिपि और टक्कण में प्रवीणता	(2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः अध्युलिपि और टक्कण में प्रवीणता	(4) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में 5 वर्ष का अनुभव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव

क्र. सं	पदनाम	पदों की सख्ता	वर्गीकरण <sup>a</sup> वेतनमान (₹)	चयन अधिकारी वर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य चौथायां	सीधी वर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	सीधी वर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा (वर्ष)	वेतनमान के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य चौथायां	वेतनमान के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य चौथायां	परिदीक्षा की निर्धारित अवधि (वर्ष में)	भर्ती का लियोगी वर्ती के लिए निर्धारित (क) अचू तीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं आयु (ग) अनुभव पदोन्नति/आगेलन तथा प्रतीक्षित युक्ति के प्राप्ति में भी लगा होगे	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आगेलन/प्रतीक्षित की जाएगी। पदोन्नति/आगेलन /प्रतीक्षित होया।	आगेलन/प्रतीक्षित/आगेलन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	अध्यक्ष के वरिष्ठ नियुक्ति सचिव	1	श्रेणी-I	24900-50500	चयन 40	अनिवार्यः (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि (2) प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमागत आशुलिपि और टंकण में प्रदीपिता (3) कम्प्यूटर अनुप्रयोग का ज्ञान (4) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपकरण में आशुलिपि/नियुक्ति सचिव के रूप में 12 वर्ष का अनुभव	(क) नहीं (ख) हाँ	2	एपोक्याति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में अध्यक्ष के नियुक्ति सचिव के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति। ऐसा न होने की स्थिति में रु. 20600-46500 के वेतनमान में अध्यक्ष के नियुक्ति सचिव के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा और अध्यक्ष के नियुक्ति सचिव के रूप में रु. 20600-46500 के वेतनमान में तथा उपाध्यक्ष के नियुक्ति सचिव के अधिकार नियुक्ति सचिव के रूप में 20600-46500 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति।	किसी महाप्रत्यक्ष न्यास में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा नियुक्ति सचिववरिष्ठ नियुक्ति सचिव के पद पर 20600-46500 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से आगेलन/प्रतीक्षित होगी।		

25.	पदनाम नं	पर्दो की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा ग्रे-चयन पद	संघीय भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	संघीय भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति/द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	आमुकित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	अध्यक्ष के निजी सचिव	1	श्रेणी।।	20600-46500	चयन	अनिवार्यः (1) मान्यताप्राप्त दिव्यविद्यालय से स्नातक की उपाधि	(क) नहीं। (ख) हाँ।	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	13
3	कर्मचार अनुप्रयोग का ज्ञान	(3)	प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आचुलिसि और टंकण में प्रवीणता	(4) किसी औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम में आशुलिसि /निजी सचिव के रूप में 8 वर्ष का अनुबन्ध						
4	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	(2)	प्रति मिनट 120/40 की गति के साथ क्रमशः आचुलिसि और टंकण में प्रवीणता	(2)	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विश्विति में प्रतिनियुक्ति से आमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	12			

जनदाहरणाल नेहरू पतलन चाल के प्रशासन विभाग (कार्यिक एवं अंगी. सं. - मा. सं. वि. प्रमाण) में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्षांशक्ति	वेतनमान	वेतनमान (रु.)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईकाणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती के लिए अधिकातम आयु सीमा (वर्षों में)	चयन अधिकारी	चयन पद	परिवेशा की नियरित अवधि (वर्षों में)			भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति आमेलन प्रतिनियुक्ति की जाएगी)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अधिकारी								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	कार्यिक अधिकारी	1	श्रेणी-।	20600-46500	चयन	30	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विशिद्धात्मक संस्थान से स्नातक की उपाधि।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3%	2	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3%	रु. 13600-32400 के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके कार्यालय अधिकारी वर्ग से पदोन्नति										
1																							

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अधिकारी के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती के लिए आधिकारी अधिकारी अधिकारी (वर्ष)	वेतनमान के लिए नियांत्रित (क) आयु सीमा, (छ) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुमति/अमेलन पदोन्नति/अमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मापदण्ड में भी लागू होंगे।		परिवेश की नियांत्रित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम विनासे पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अनुद्धरित	
							9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	अम कल्याण अधिकारी	3	श्रेणी-I	20600- 46500	चयन	30	<u>अनिवार्यः</u> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक नीं उपाधि (2) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से सामाजिक विज्ञान में स्नातक की उपाधि/हितोप्या ! (3) मराठी का ज्ञान	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2 सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3%	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा- 33.1/3% पदोन्नति द्वारा - 66.2/3%	21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा- 66.2/3% पदोन्नति द्वारा - 33.1/3%	पदोन्नति द्वारा एसा न होने की स्थिति में 5 वर्ष की नियांत्रित अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ श्रम करत्याण अधिकारी की से पदोन्नति किसी महापत्रन तथा में समकक्ष पद या ₹ 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियांत्रित अधिकारी/ प्रतिनियुक्ति आमेलन / प्रतिनियुक्ति से दोगों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	
3	सहायक प्रबन्धक (कार्यिक/ मा.सं.सि.)	2	श्रेणी-I	20600- 46500	चयन	35	<u>अनिवार्यः</u> (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से स्नातक की उपाधि (2)किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/शरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्यिक औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं। (ख) जी हॉ। (ग) नहीं।	2 पदोन्नति द्वारा एसा न होने की स्थिति में 5 वर्ष की नियांत्रित अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी/ श्रम करत्याण अधिकारी की से पदोन्नति किसी महापत्रन तथा में समकक्ष पद या ₹ 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियांत्रित अधिकारी/ प्रतिनियुक्ति आमेलन / प्रतिनियुक्ति से दोगों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।				

क्र.	पदनाम संख्या	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देननमान (रु.)	चयन अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए अवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	देननमान की सीधी भर्ती के लिए अवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षमा सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) आठु सीमा, (ख) ऐक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में शीलाण् होंगे	परिवेश की निधारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती की तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	दे पदकम जिनसे पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अन्युक्ति	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	उप- प्रबंधक (कार्यिक/ औद्योगिक राजध.)	2	श्रेणी।	24900- 50500	चयन	40	अनिवार्यः (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान की उपाधि (2) किसी औद्योगिक वार्षिक्यक/ सारकारी उपकरण के कार्यपालक संवर्ग में सामान्य प्रशासन, कार्यिक, औद्योगिक संबंध आदि के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव	2 (क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	पदोन्नति द्वारा देसा न होने की विधियां से आमेलन / प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की विधियां में सेवी भर्ती द्वारा।	क. 20600-46500 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहायक (कार्यिक/मा.स.वि./प्रशासनिकियि) द्वारा देसा न होने की विधियां में इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहायक (कार्यिक/मा.स.वि./प्रशासनिकियि) और कार्यिक औद्योगिक संबंध (प्रशासनिकियि) के संबंधित क्षेत्र में रु. 20600-46500 एवं रु. 20600-46500 के वेतनमानों में 9 वर्ष की संतुलित नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों में से पदोन्नति ।	किसी महापतन चास में समकक्ष पद या उप- कार्यिक अधिकारी तरिक्ष श्रम कल्याण अधिकारी या कार्यिक एवं औद्योगिक संबंध प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में समकक्ष पद पर क. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारियों में से आमेलन/प्रतिनियुक्ति	
							वांछनीयः (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से कार्यिक प्रबंधन/औद्योगिक संबंध समाज कार्यों/श्रम कल्याण या समाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि/टिक्कोमा या तिथि में स्नातक की उपाधि					





## जनवहस्ताल नेहरु पत्रन चाप्स के प्रशासन विभाग (विधि प्रभाग) में श्रेणी-। और II के पदों के लिए अर्थी नियम

अर्थीकरण	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती का तरीका लिए नियमित (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	परिवेक्षा की नियमित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका लिए नियमित (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आवेदन/प्रतिनियुक्ति/ की जाएगी	अर्थुक्ति
क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती का तरीका लिए नियमित (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	परिवेक्षा की नियमित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका लिए नियमित (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा )	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आवेदन/प्रतिनियुक्ति/ की जाएगी	अर्थुक्ति
1	सहायक प्रबंधक (विधि)	1	श्रेणी-।	20600-46500	चयन	(1) विक्सी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (2) विक्सी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम की विधि स्थापना में पांच वर्ष का कार्यकारी अनुभव	(1) विक्सी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (ख) है। (2) विक्सी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम की विधि स्थापना में पांच वर्ष का कार्यकारी अनुभव	(क) नहीं। (ख) है। (ग) नहीं।	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आवेदन /प्रतिनियुक्ति से, दोनों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी वर्ग से पदोन्नति। किसी महापत्रन चाप्स में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अवधारण के समकक्ष पद पर रु. 20600-46500 के वेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा करने वाले अधिकारी वर्ग से आवेदन/प्रतिनियुक्ति होगी।	(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातकोत्तर उपाधि	

क्र. सं	पदनाम	पदों की सख्त्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन उत्थापन मान	सीधी भर्ती के लिए अवश्यक ईकांकिक तथा अन्य योग्यताएँ	(क्षा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीधा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति आदेशन के तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे।	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	परिवेश की नियां विवरित अवधि (वर्षों में)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति /आमेलन/प्रतिनियुक्ति/ की लाएँगी	अन्युक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	प्रबंधक (विधि)	1	श्रेणी-I	32900- 58000	चयन	42	<b>अनिवार्य :</b> (1) मान्त्रिताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि (2) किसी औदायिका/वाणिज्यिका/सरकारी उपक्रम की विधि स्थापना में 12 वर्ष का कार्यपालक अनुबंध	(c), नहीं। (ख), है। (ग), नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विधि से आमेलन के लिए किसी महापत्रन से रखत पदों च्यास में समकक्ष पद घासित करने वाले अधिकारी की संख्या की संख्या 29100- तक 50500 के बेतनमान में उप-प्रबंधक / उप मुख्य विधि अधिकारी 50500 के बेतनमान में उप-प्रबंधक के पद पर 3 वर्ष की नियां विवरित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा लिस्ट महापत्रन न्यास में इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियां विवरित सेवा कर चुके उप मुख्य विधि अधिकारी 32900- का 20600 - 46500 के बेतनमान में सहायक प्रबंधक के रूप में तथा उप-प्रबंधक के रूप में 58000 के बेतनमान में प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष की संयुक्त नियां विवरित सेवा कर चुके हों पात्र होंगे।	संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा ऐसा न होने की विधि में अन्य सरकारी स्नातनों से प्रतिनियुक्ति होना आवश्यक है अतः दोनों द्वारा न होने की विधि में सीधी भर्ती द्वारा अन्य सरकारी उपक्रम के विधि प्रबंधक के पद पर 3 वर्ष की नियां विवरित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा लिस्ट महापत्रन न्यास में इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियां विवरित सेवा कर चुके उप मुख्य विधि अधिकारी 32900- का 20600 - 46500 के बेतनमान में सहायक प्रबंधक के रूप में तथा उप-प्रबंधक के रूप में 58000 के बेतनमान में प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष की संयुक्त नियां विवरित सेवा कर चुके हों पात्र होंगे।	उपर्युक्त स्नातकोत्तर उपाधि विधि से आमेलन करनेवाले अधिकारी या उप मुख्य विधि अधिकारी या उप समकक्ष पद घासित करने वाले अधिकारी जो 24900 - 50500 के बेतनमान में 3 वर्ष की नियां विवरित सेवा कर चुके हों प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वासिक गणपतीय रिपोर्ट में समय श्रेणीकरण "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास के सामाचर प्रशासन विभाग में हिन्दी प्रकोष्ठ के श्रेणी-। के घटों के लिए भर्ती नियम

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	संघी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य याचयताएँ	(क) आयु तीमा, (ख) ऐडाएंट योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदान्तरित अमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	परिवेष्का की निवारिति अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदान्तरि/अमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी)	वे पदक्रम जिनसे पदान्तरि/अमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी		
1	सहायक प्रबंधक (राजभाषा)	1	श्रेणी-।	20600-46500	चयन	35	अधिकार्य :	(i) किफी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय अंग्रेजी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर एक विषय हिन्दी रहा हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि जहाँ स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी विषय रहे हैं।	(क) लागू नहीं। (ख) लागू नहीं। (ग) लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं

जन्माहरताल नेहरूपत्रन न्यास के वित्त विभाग में श्रेणी-। के पदों के लिए असीमित

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण वर्तनमान (रु)	चयन अथवा गैर- चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकारी आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा (ग) अनुबन्ध पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के शामल थी ताकू होगा		परिवेशा की नियमित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका लिए नियाप्रिति (क) आयु सीमा (छ) शैक्षणिक योग्यता तथा (ग) अनुबन्ध पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के शामल थी ताकू होगा	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अमुक्ति
							1	2	3	4	5	6
1	लेखा अधिकारी	8	श्रेणी-।	20600- 46500	चयन	30	<u>अनिवार्य:</u> (1) भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी पात्रता स्थानक की उपायि आवश्यक है ।	2	<u>21 अगस्त 2012 के बाद</u> सीधी भर्ती द्वारा-33.1/3% पदोन्नति द्वारा-66.2/3%	कार्यालय अधिकारक जो रु. 13600-32400 की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों, उन्हें पदोन्नति द्वारा ।	
1	सहायक प्रबन्धक (विता)	7	श्रेणी-।	20600- 46500	चयन	35	<u>अनिवार्य:</u> (1) भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य । (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में वित्त, लेखाकारण के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुबन्ध ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी पात्रता स्थानक की उपायि आवश्यक है ।	2	<u>पदोन्नति द्वारा ऐसा न</u> होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में किसी महापत्रन यास में समरक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा श्रेणी-। के लेखा अधिकारी जो रु. 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति होगी ।		
2	सहायक प्रबन्धक (विता)	7	श्रेणी-।	20600- 46500	चयन	35	<u>अनिवार्य:</u> (1) भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य । (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में वित्त, लेखाकारण के क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुबन्ध ।	(क) नहीं । (ख) नहीं ।	<u>पदोन्नति द्वारा ऐसा न</u> होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में किसी महापत्रन यास में समरक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा श्रेणी-। के लेखा अधिकारी जो रु. 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से आमेलन/ प्रतिनियुक्ति होगी ।			

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए नियमित [‘(क) आयु सीमा, (ख) ऐकाधिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदनामिता/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के पासले में भी लागू होंगे	परिवेशों की नियमित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	आम्बुद्धि	
1												
3	उप-प्रबंधक (वित्त)	5	श्रेणी-I	24900-50500	चयन	40	अनिवार्यः (1) भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और सकारं लेखाकार सञ्चान का सदस्य । (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक सदर्म में वित्त, लेखाकारण के क्षेत्र में 9 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी प्राच विश्वविद्यालय से स्नातक की उपायिका अवश्यक है । (ग) नहीं ।	2	पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में रु. 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा का चुके सहा-प्रबंधक और वित्त विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में रु. 20600-46500 के वेतन मान तथा सहा-प्रबंधक के रूप में रु. 20600-46500 के वेतन मान में 9 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुकने वालों में से पदोन्नति होगी ।	रु. 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके सहा-प्रबंधक (वित्त) ऐसा न होने की स्थिति में रु. 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा का चुके सहा-प्रबंधक और वित्त विभाग में लेखा अधिकारी के रूप में रु. 20600-46500 के वेतन मान में द्वारा दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	

अपूर्वानुसंधान	पदनाम संस	पदनाम पर्याकरण की संख्या	पदनाम वेतनमान (रु.)	चयन अधिकारी के संघीय मर्ती के लिए नियमित (क) आयु सीमा, (छ) शैक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मापदंड में भी लागू होंगे	क्षमा संघीय मर्ती के लिए नियमित (क) आयु सीमा, (छ) शैक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मापदंड में भी लागू होंगे	भर्ती का तरीका (संघीय मर्ती या पदोन्नति/आमेलन प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
13	10	11	12	9	10	11	12
4	प्रबन्धक (वित्त)	श्रेणी-1	चयन 32900-58000	अनिवार्य: (1) भारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और सफारी लेखाकार सस्थान का सदस्य। (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उच्चक्रम के कार्यपालक सर्वान् ने वित्त, लेखाकरण के क्षेत्र में 12 वर्ष का अनुभव।	संयुक्त विविध द्वारा आमेलन के लिए किसी महाप्रतनन्त्र न्यास के विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप-प्रबन्धक (वित्त)/उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 24900-50500 की तरेन श्रेणी में 3 वर्षों की विधिमत्त्र सेवा पूरी कर चुके अथवा उप-प्रबन्धक (वित्त)/उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर इस विभाग में सहायक प्राधिक एवं संबंधित पद पर रु. 24900-50500 तथा रु. 20600-46500 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। (ग) नहीं।	संयुक्त विविध द्वारा आमेलन के लिए किसी महाप्रतनन्त्र न्यास के विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप-प्रबन्धक (वित्त)/उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 24900-50500 की तरेन श्रेणी में 3 वर्षों की विधिमत्त्र सेवा पूरी कर चुके अथवा उप-प्रबन्धक (वित्त)/उप मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर इस विभाग में सहायक प्राधिक एवं संबंधित पद पर रु. 24900-50500 तथा रु. 20600-46500 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे। (ग) नहीं।	संयुक्त विविध द्वारा आमेलन के लिए किसी महाप्रतनन्त्र न्यास के विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप-मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 24900-50500 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की विधिमत्त्र सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।
1	2	3	4	5	6	7	8

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवनामन वयन (क)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईशांशिक तथा अच्युतां अच्युतां	क्षमा सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) अयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुमति पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होगे	परिवेश की विधियाँ अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति की अपेक्षित जाएगी	
5	मुख्य प्रबंधक (विरा)	1	श्रेणी-। (विभागाध्यक्ष)	51300-73000	चयन 45	<p><b>अनिवार्यः</b></p> <p>(1) यारतीय सनदी लेखाकार अथवा भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान का सदस्य।</p> <p>(2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संदर्भ में वित्त, लेखककरण के क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।</p>	<p>(क) नहीं।</p> <p>(ख) है, किन्तु वे मौजूदा अधिकारी जो इस भर्ती नियम की अधिकृतवाना की तरीख को सेवा में थे तथा नियमके पास अद्या लेखा करने की योग्यता थी, वे भी पात्र होंगे।</p> <p>(ग) नहीं।</p>	<p>लागू नहीं</p> <p>(क) नहीं।</p>	<p>संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्नन व्यास के वित्त विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा श्रेणी-॥ के पततों में वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी जो इस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अथवा रु. 36600-62800 की वेतन श्रेणी में 4 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा रु. 32900-58000 के वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।</p> <p>सरकारी/अंकुर-सरकारी/सार्वजनिक स्वायतंशसी निकायों में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 43200-66000 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा वरिष्ठ उप-मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 32900-58000 और उससे अधिक की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।</p> <p>पात्र होंगे।</p> <p>चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों में सम्पूर्ण श्रृंगारण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।</p>	उपक्रमों द्वारा वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 43200-66000 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा वरिष्ठ उप-मुख्य लेखा अधिकारी और वित्त विभाग में समकक्ष पद पर रु. 32900-58000 और उससे अधिक की वेतन श्रेणी में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।

जवाहरलाल नेहरू पतन चास के वित विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवा प्रमाण में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतननाम (₹)	चयन सीधी भर्ती के लिए अधिकारी अधिकारी की उपचयन	सीधी भर्ती के लिए अधिकारी अधिकारी की उपचयन	क्षा सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यता एवं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति, आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मानदंड में भी लागू होगे	परिवेश की अवधि (वर्ष में)	(सीधी भर्ती द्वाया अथवा पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम लिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।	अन्यत्रित्व	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधिकारक प्रबंधन सेवा)	4*	श्रेणी-।	46500	चयन 20600-	अनिवार्यः (1) किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अभियांत्रिकी/ काम्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि ।	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा-33.13% पदोन्नति द्वारा-66.23% 21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा न भरने पर पदोन्नति द्वारा-33.13%	रु .16400-40500 की देतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर तुके प्रोग्राममें से पदोन्नति । अथवा	प्रबंधन सेवा प्रमाण में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर तुके श्रेणी -III के प्रोग्राम सहायक कर्मचारियों में से पदोन्नति ।		
2	अधिकारक प्रबंधन सेवा)	3	चयन अधिकारी अधिकारी आयु सीमा (वर्ष)	चयन अधिकारी आयु सीमा (वर्ष)	अनिवार्यः (1) किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अनुप्रयोग/काम्यूटर विज्ञान सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/साधिकी/साहित्य विज्ञान/अधिकारक में स्नातक की उपाधि । अथवा किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अनुप्रयोग/काम्यूटर विज्ञान सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/साधिकी/साहित्य विज्ञान/अधिकारक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ अधिकारी की उपाधि ।	(1) किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अभियांत्रिकी/ काम्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/साधिकी/साहित्य विज्ञान/अधिकारक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ अधिकारी की उपाधि ।	अनिवार्यः (1) किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अभियांत्रिकी/ काम्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/साधिकी/साहित्य विज्ञान/अधिकारक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ अधिकारी की उपाधि । अथवा किसी मानवता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्यूटर अनुप्रयोग/काम्यूटर विज्ञान सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/साधिकी/साहित्य विज्ञान/अधिकारक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ अधिकारी की उपाधि । अंतिम	प्रबंधन सेवा प्रमाण में संबंधित क्षेत्र में 5 वर्षों की नियमित सेवा कर तुके प्रोग्राम सहायक कर्मचारियों में से पदोन्नति ।				

\* इन पदों को यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में अनुमोदित किया गया था किंतु वित विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवा प्रमाण में प्रचलित है ।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अधिकारी के लिए नियमित शैक्षणिक तथा अन्य याग्यताएँ	सीधी भर्ती के लिए नियमित शैक्षणिक तथा अन्य याग्यताएँ	क्षयन सीधी भर्ती के लिए नियमित शैक्षणिक तथा अन्य याग्यताएँ			भर्ती का परिवेश (क्र.) की अवधि (वर्षों में)	(सीधी भर्ती पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी।	
							वेतनमान (₹)	चयन अधिकारी के लिए नियमित शैक्षणिक तथा अन्य याग्यताएँ	वेतनमान (₹)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहाय्यक (प्रबंधन सेवा)	3*	अणी।	20600-46500	चयन	35	<b>अनेकार्थ:</b> (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अभियांत्रिकी/ कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अध्यात्मक में स्नातक की उपाधि। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुप्रयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलोमा के साथ अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारक (प्र.से.) से ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा, दोनों द्वारा, दोनों प्रयोग के रूप में 20600-46500 तथा प्रोग्राम के रूप में ₹ 18400-40500 के वेतन मानों में 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारकों में सेवोंनाले द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारक (प्र.से.) से ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके अधिकारक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा, दोनों द्वारा, दोनों प्रयोग के रूप में 20600-46500 तथा प्रोग्राम के रूप में ₹ 18400-40500 के वेतन मानों में 8 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके अधिकारकों में सेवोंनाले द्वारा होगी।	

\* इन पदों को यांत्रिक एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में अनुमोदित किया गया था किन्तु वित्त विभाग में प्रबंधन सेवा प्रयोग में प्रचलित है।

क्र. सं.	पदनाम	दर्दी की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	दयन अथवा गैर-चयन	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित ऐकांडिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षा सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यता तथा (ग) अनुबंध गदोन्नति, अमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के शास्त्र में भी लागू होगे	परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (संघी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/अमेलन/प्रतिनियुक्त द्वारा)	वे पदकम जिनके पदोन्नति/अमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।				
3	उप-प्रबंधक (प्रबंधन सेवा)	1*	श्रेणी-I	24900-50500	चयन	40	अनिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अधिकारी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अन्यथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलेना के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में पाने की स्थिति में संघी भर्ती द्वारा।	रु 20600-46500 की वेतन श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके प्रबंधक के लिए, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में (प्र.से.) से, ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहा/प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीकक के रूप में रु 20600-46500 तथा सहायक प्रबंधक के लिए रु 20600-46500 के बेतन मान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके विकासीयों में से पदोन्नत होगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में (प्र.से.) से, ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहा/प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीकक के रूप में रु 20600-46500 तथा सहायक प्रबंधक के लिए रु 20600-46500 के बेतन मान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके विकासीयों में से पदोन्नत होगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में (प्र.से.) से, ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहा/प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीकक के रूप में रु 20600-46500 तथा सहायक प्रबंधक के लिए रु 20600-46500 के बेतन मान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके विकासीयों में से पदोन्नत होगी।	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में (प्र.से.) से, ऐसा न होने की स्थिति में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके सहा/प्रबंधक (प्र.से.) और प्रबंधन सेवा प्रभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीकक के रूप में रु 20600-46500 तथा सहायक प्रबंधक के लिए रु 20600-46500 के बेतन मान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके विकासीयों में से पदोन्नत होगी।
1	2	3	4	5	6	7	अनिवार्यः (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / संस्था से कम्प्यूटर अधिकारी/कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक की उपाधि। अन्यथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अनुयोग/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिलेना के साथ गणित/सांख्यिकी/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातक की उपाधि। अन्यथा के साथ अधिकारी/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डेलेना के साथ अधिकारी/संस्कृत की उपाधि। (2) प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रेसेप्शन/प्रिस्टिटम डिजाइन एवं एनालिटिक्स तथा संबंधित क्षेत्र का 9 वर्ष का अनुभव।	(1) गणिते सारिक्यके/संक्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर विज्ञान अधिकारी/कम्प्यूटर विज्ञान प्रणाली अथवा कम्प्यूटर अनुयोग में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा कम्प्यूटर अनुयोग अनुभव सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक प्रणाली प्रणाली प्रधान सूचना सेवा अथवा सूचना तकनीक और सबंधित विषयों में विशेषज्ञता के साथ व्यवसाय (स्नातकोत्तर उपाधि/डिलेना)।	पदोन्नति के लिए नियमित सेवा प्रभाग में प्रचालित है।	यह पद यांत्रिक एवं विद्युत अधिकारी/विभाग में अनुमोदित किया गया था किंतु विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवा प्रभाग में प्रचालित है।				

4. यह पद यांत्रिक एवं विद्युत अधिकारी/विभाग में अनुमोदित किया गया था किंतु विभाग के अंतर्गत प्रबंधन सेवा प्रभाग में प्रचालित है।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा गैर-चयन पद	संधी भर्ती के लिए आयु समाप्ति (वर्ष)	संधी भर्ती के लिए आयु समाप्ति (वर्ष)	वेतनमान के लिए आयु समाप्ति (वर्ष)	वेतनमान के लिए आयु समाप्ति (वर्ष)	परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलना/प्रतिनियुक्ति की अपेली)	अग्रिमता			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
4	प्रबंधक प्रबंधन सेवा)	1	शेषी-1	32900- 58000	चयन	42	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विविध द्वारा आमेलन के लिए किसी महापतन यात्रा में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा इंडीप्रियंवंदन सेवा प्रमाण में रु. 24900-50500 की वेतन-प्रबंधक कार्य कर रहे थेरी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके उप-प्रबंधक (प्रसे.) या उसके समकक्ष अधिकारी अथवा किसी महापतन यात्रा के इंडीप्रियंवंदन सेवा प्रमाण में रु. 32900-58000 के वेतनमान में संयुक्त छद्मों की उपलब्धता की सीधी तरक्की तक स्थित है।	रु. 29100- 50500 के वेतनमान में अधिकारियों का अधिकारी अथवा किसी इंडीप्रियंवंदन सेवा प्रमाण में रु. 24900-50500 की वेतन-प्रबंधक कार्य कर रहे थेरी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके उप-प्रबंधक कार्य कर रहे थेरी में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और रु. 26600-46500 और रु. 24900-50500 के वेतनमान में क्रमशः सहायक सरकारी संवादों से तथा उप-प्रबंधक के रूप में 7 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों।	उत्तमत्वन हो जाएगा।				
							आवश्यक :								
							(1) किसी मानवाधिकार विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अधिकारियों का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर अधिकारियों/कम्प्यूटर विज्ञान/सूचना तकनीक में स्नातकोत्तर डिल्क्सो के साथ गणित/सार्वज्ञानिक सक्रिय विज्ञान/अध्यशास्त्र में स्नातक की उपाधि।								
							(2) प्रग्रामिंग / इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग/ सिस्टम डिजाइन एवं एनालिसिस तथा संवर्धित क्षेत्र का 12 वर्ष का अनुमति।								
							वांछनीय :								
							(1) गणित/सार्वज्ञानिकी/संस्क्रिया विज्ञान/अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिस्टम या सूचना प्रणाली या एमआईएस या सूचना तकनीक और संवर्धित विषयों में विशेषज्ञता के साथ कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर अधिकारियों का प्राप्तानी या सूचना प्रणाली प्रबंधन या सूचना प्रैदायिकी का कम्प्यूटर अनुदान या क्वांचायन या स्नातकोत्तर उपाधिकारी विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि।								

जवाहरलाल नेहरू प्रसान न्यास के यात्रिक एवं विद्युत अधिकारिकी विभाग में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती दिनांक

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अध्ययन चयन अध्ययन गैर-चयन अधिकारितम् आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए नियमित शैक्षणिक तथा अन्य शैक्षणिक विधि	का सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) आयु सीमा (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति अवैलन तथा प्रतिनियुक्त के मानस्त्रे में भी लाग होंगे	परिवेष्का नियमित (क) आवधि (वर्ष में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति अवैलन तथा प्रतिनियुक्त द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति अवैलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी ।	अनुबित	
1	अधीक्षक यात्रिक एवं विद्युत अधिकारिकी	8*	श्रेणी-।	20600- 46500	चयन	अनिवार्यः (1) किसी सञ्चयापाल विषयविद्यालय संस्था से यात्रिक /विद्युत इलेक्ट्रॉनिक एवं सचार अधिकारिकी में स्नातक की उपायि या उसके समकक्ष योग्यता ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु मान्यता प्राप्त विषयविद्यालय / संस्था से संबंधित क्षेत्र में अधिकारिकी में डिलेख आवश्यक है ।	2	21 अगस्त, 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा-33.1/3% पदोन्नति द्वारा-66.2/3%	रु16400-40500 के वेतनमान में सहा.अधिकारिता ( वात्रिक तथा विद्युत अधिकारिकी के पद पर 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से की जाएगी ।	21 अगस्त, 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा-66.2/3% पदोन्नति द्वारा-33.1/3%	13
1	वर्गीकरण	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

\* इन पदों में वित्त विभाग में अधिकारक (प.से.) के कुप्रमाण में लागू 4 पद शामिल नहीं हैं ।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अध्यारोपित वेतनमान (रु.)	सेवी भर्ती के लिए आवश्यक ईशानिक तथा अन्य यांचतारं	सेवी भर्ती के लिए आवश्यक ईशानिक तथा अन्य यांचतारं	वेतनमान सेवी भर्ती के लिए नियमित (क) अग्रु सेवा, (ख) वैशाखीक बोगवतारं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति, आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में शीलानुग्रह	चर्ती का लक्षण (सेवी भर्ती द्वास अथवा पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति हारा)			
1												
2	सहायतावाहक एवं विद्युत अधिकारी	7 <sup>o</sup>	श्रेणी-	अधिकारी	20600-46500	चयन	35	जनिवार्ता :	(क) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने वाली स्थिति में आमेलन पदोन्नति द्वारा अधिकारी विद्युत अधिकारी के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति से, ऐसा न होने की स्थिति में ₹20600-46500 के वेतनमान में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी (वात्रिक एवं विद्युत विभाग की) तथा वात्रिक एवं विद्युत अधिकारी की संबंधित क्षेत्र में अधिकारी के रूप में ₹20600-46500 तथा सहायतावाहक एवं विद्युत अधिकारी की संबंधित क्षेत्र में ₹16400-40500 के वेतनमान में कुल 8 वर्ष की संबंधित सेवा कर चुके व्यक्ति से पदोन्नति जाएगी।	चयनमान 46500 के वेतनमान में संबंधित क्षेत्र में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा इस श्रेणी में फीडर पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति द्वारा आमेलन/ प्रतिनियुक्ति से की जाएगी।

\*इन पदों में प्रतिवर्ष विभाग द्वारा विभाग अनुभाग के 2 पद नियमित नहीं हैं।  
\*\*इन पदों में विभाग में लान् विभाग एवं छावनीक प्रबन्धक (प्र.से.) के रूप में लान् 3 पद नियमित नहीं हैं।

क्र. सं सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान (से)	चयन अधिका री गैर- चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अधिकार्य आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक उपलब्धिक तथा अन्य योग्यताएं		वय सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) अनु सेपा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदान्विति, आयोलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामते में भी लागू होंगे	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदान्विति/आयोलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आयोलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।
							वय सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) अनु सेपा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदान्विति, आयोलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामते में भी लागू होंगे	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदान्विति/आयोलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आयोलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप-प्रबंधक (यात्रिक एवं विद्युत अधिकार्यों)	4*	श्रेणी-I	24900- 50500	चयन	40	अनिवार्यः (1) किसी मान्दाप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से यात्रिक /विद्युत इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अधिकार्योंकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता । (2) किसी औद्योगिक/विद्यालयका/सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संवर्ग में संबंधित क्षेत्र का 9 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं । (ख) हाँ । किन्तु मायथा प्राच विश्वविद्यालय/ संस्था से संबंधित विषय में अधिकार्योंकी में डिलोया आवश्यक है । (ग) नहीं ।	2 पदान्विति द्वारा भर्ती न होने की स्थिति में आयोलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न हो पाने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	ल20600-46500 के देतनमान में सहायक प्रबंधक (यात्रिक एवं विद्युत अधिकार्यों) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर तुके अवधि से, ऐसा न होने की स्थिति में ल20600-46500 के वेतनमान में सहायक प्रबंधक (यात्रिक एवं विद्युत अधिकार्यों) के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा और यात्रिक एवं विद्युत अधिकार्योंकी विश्वा में संबंधित क्षेत्र में अधिकारक के रूप में ल20600- 46500 तथा सहायक अधिकारक के रूप में ल20600-46500 के देतनमान में कुल 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर तुके अवधि पदान्विति के पात्र होंगे ।	किसी महापत्तन न्यास में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अथवा फीडर पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके व्यविधयों से आयोलन/प्रतिनियुक्ति से की जाएगी ।	

\* इन पदों में प्रशासन विभाग ये लागू विषयान अनुभाग का 1 पद शामिल नहीं है ।  
\*\* इन पदों में वित्त विभाग में उप-प्रबंधक (प्र.से.) के रूप में लागू 1 पद शामिल नहीं है ।

क्र. सं	पदनाम	पदवी की सत्त्वा	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	वेतनमान सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	परिवेश की नियमिति		भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदनामिति अन्वेतन प्रतिनियुक्त द्वारा)	वे वदव्रम जिससे पदनामिति आवेतन प्रतिनियुक्त की जाएगी।	अन्युक्ति		
							बयन	परिवेश की नियमिति अवधि (वर्ष में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4	प्रधानक शैक्षिक एवं विद्युत अधिकारी	३ <sup>o</sup>	श्रेणी-।	32900- 58000	चयन	42	<u>अनिवार्य</u> (1) किसी साम्बद्धाप्रति विश्वविद्यालय/ संस्था से याचिक विद्युत/इलेक्ट्रोनिक एवं संचार अधिकारियों में स्नातक की उपस्थिति या उसके समरूपता योग्यता।  (2) किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/ सरकारी उपक्रम के कार्यपालक सर्वर्में संबंधित पद पर 12 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) हा। (ग) नहीं।	लागू, नहीं।	संयुक्त विधि द्वारा आवेतन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में अन्य सरकारी संस्थान से प्रतिनियुक्त द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आवेतन के आधार पर संबंधित पद पर रु.24900-50500 के वेतनमान में अधिक एवं विद्युत अधिकारी संबंधित पद अधिकारी समरूपता पद के अधिकारी जो उस श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों और सहायक प्रधानक अधिकारी समरूपता पद के उपर्युक्त के रूप में रु.24900-50500 के वेतनमान में 7 वर्ष की संयुक्त सेवा कर चुके हों, पात्र होंगे।	सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/ स्वायत्तशासी निकायों के शाविक एवं विद्युत अधिकारियों के विषय में संबंधित द्वेष की उस श्रेणी में समरूपता पद अधिकारी अधिकारी अवधिकारी समरूपता पद धारण करने वाले अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे जो रु.24900-50500 के वेतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों।	कदम योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय रिकोर्ड में समग्र शैक्षिकरण का ल्यूटम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से निवेदित होना चाहिए।

\* इन पदों में प्रधान सेवा प्रमाण का 1 पद शामिल है जो विषय में प्रधानक (प्रथम) के रूप में प्रदर्शित है।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन- अधिकारी	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ऐकांकिक तथा अन्व योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए नियमित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदनामि, आवेदन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी पदनामि आवेदन प्रतिनियुक्ति द्वारा)	अधिकारी			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	मुख्य प्रबधक (यांत्रिक एवं विद्युत अधिकारी)	1	श्रेणी-I (विमानाचाल क्ष)	45	अनिवार्यः (1) भारतप्रात विश्वविद्यालय से यांत्रिक विद्युत-इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार अधिकारीकी। नौ-स्थायिक में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता। या वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958के तहत जारी एमओटी प्रथम श्रेणी बोर्ड प्रमाणपत्र।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा आवेदन के लिए किसी महापत्रन न्याय ने व्यांत्रिक एवं विद्युत अधिकारीकी विधा और सम्बुद्धी विधा (केवल सम्बुद्धी अधिकारी की श्रेणी के लिए लागू) में समकक्ष पद धारण करने वाले अधिकारी अधिकारी श्रेणी॥ के पार्श्वों में 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके युवा यांत्रिकी अधिकारी अधिका रु.36000-62000 की वेतन श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी अधिका रु.32900-58000 की वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी पात होगे।	संयुक्त विधि द्वारा आवेदन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा।	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	परिवेशा की नियांसित अवधि (वर्षों में)	

जनसंख्यात नेहरू परम वर्षन विभाग में श्रेणी-1 के घटों के लिए अन्तीं निम्नलिखित

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनामान (रु.)	बच्यन अध्यया गैर-बच्यन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ऐडिकेपिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षयी भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अध्यया पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	परिदेशी की परिवारित निवारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अध्यया पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति के पदक्रम जिससे वे पदोन्नति आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधिकारक (प्रचालन)	45	श्रेणी-1	20600-46500	चयन	30	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अधियाचित्रियों में स्नातक की उपाधि को वरिष्ठता दी जाएगी।	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	2	21 अगस्त 2012 तक सीधी भर्ती द्वारा-33.13% पदोन्नति द्वारा-66.23% 21 अगस्त 2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा -66.23% पदोन्नति द्वारा-33.13%	सहायक अधिकारक (प्रचालन) जो ₹ 16400-40500 की वेतन श्रेणी में 3 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों, से पदोन्नति ।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक प्रबन्धक (प्रचालन)	21	श्रेणी-1	20600-46500	चयन	35	अनिवार्यः किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । अधियाचित्रियों में स्नातक की उपाधि को वरिष्ठता दी जाएगी।	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	2	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में पर 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से पदोन्नति न हो पाने की स्थिति में अधिकारक (प्रचालन) जो देतनामान में 2 वर्ष नियमित सेवा कर चुका ,दोनों द्वारा न होने की स्थिति में अधिकारक चुके हों तथा प्रचालन विभाग के संबंधित क्षेत्र में अधिकारक के रूप में ₹ 20600-46500 और सहायीयांता के रूप में ₹ 16400-40500 के देतनामान में 8 वर्ष की संवृत्ति नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों से की जाएगी ।	किसी महाप्रतन न्यास में समर्क एवं धारित करने वाले अधिकारी अध्यया श्रेणी-1 के सहायीयांता के रूप में ₹ 20600-46500 के देतनामान की श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, से आमेलन/प्रतिनियुक्ति से की जाएगी ।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

जनरल नेशनल नेटवर्क प्रचालन विभाग में श्रेणी-। के पटों के लिए गती विविधम्

क्र. स	पदनाम	पटों की संख्या	वर्गीकरण वेतनमान (रु.)	वेतनमान	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईकाइक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ तथा (ग) अनुभव पदोन्नति, आमेलन तथा प्रतीनियुक्त के मामले में भी लागू होगे	परिवेशा की निधारित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतीनियुक्त द्वारा)	वे पदक्रम जिससे पदोन्नति/आमेलन/प्रतीनियुक्त की जाएगी ।	अधिकारी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	उप-प्रबंधक (प्रचालन)	11	श्रेणी-।	24900-50500	चयन	40 अनिवार्यः i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि । ii. अधिकारिताकी में स्नातक की उपाधि को वरीयता दी जाएगी।	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) नहीं ।	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतीनियुक्त के लिए न होने की विधि द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में ल20600-46500 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की विधि द्वारा, कर चुके प्रबंधक (प्रचालन) और प्रचालन विभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीक्षक के रूप में रु20600-46500 तथा सहायक के रूप में रु.220600-46500 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तिगणों से की जाएगी।	पदोन्नति द्वारा न होने की विधि द्वारा, कर चुके सहायक प्रबंधक के लिए न होने की विधि में ल20600-46500 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की विधि द्वारा, कर चुके सहायक प्रबंधक (प्रचालन) और प्रचालन विभाग के संबंधित क्षेत्र में अधीक्षक के रूप में रु20600-46500 तथा सहायक के रूप में रु.220600-46500 के वेतनमान में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तिगणों से की जाएगी।	पिछी सहायतन न्यास में समरक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी, अथवा रु20600-46500 के वेतनमान की श्रेणी में वरिष्ठ सहायक यातायात प्रबंधक के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति आमेलन/प्रतीनियुक्त के पात्र होगे ।		

## जनवाहनाल नेहरु प्रतालन न्यास के प्रबालन विभाग में श्रेणी-। के पदों के लिए अर्थी विदेशी

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अध्यक्ष संघर्ष-चयन पद	संक्षील भर्ती के लिए अधिकारी अन्य योग्यताएँ	क्षय संक्षील भर्ती के लिए नियमित (क) अथु (ख) ईड्सीएक्य सीमा, (ग) योग्यताएँ तथा (ट) अनुशृत पदोन्नति, आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	परिवेश की नियांति (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (संस्थी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति(आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	अनुबंधित संस्कृत घटों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	प्रबंधक (प्रबालन)	5	श्रेणी-I	32900-58000	चयन	42	अधिकारी:	लागू नहीं	संस्कृत विधि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापत्रन चाप्स में समरक्ष पद घासित करने वाले अधिकारी अथवा उप-यातायात प्रबंधक/उप-प्रबंधक (प्रबालन) तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में उसके सम्पत्त्व पद पर ₹ 24900-50500 की वेतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके व्यक्ति अथवा यातायात विभाग के संबंधित क्षेत्र में उप-यातायात प्रबंधक/उप-प्रबंधक (प्रबालन) और सम्पत्त्व पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके हों और किसी महापत्रन चाप्स में यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में सहायकक के रूप में ₹ 20800-46500 तथा उप-प्रबंधक के रूप में ₹ 24900-50500 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संस्कृत नियमित सेवा पूरी कर तुके व्यक्ति पदोन्नति के पात्र होंगे।	13
4	प्रबंधक	5	श्रेणी-I	32900-58000	चयन	42	i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि को वरिष्ठता दी जाएगी।	(क) नहीं।	संस्कृत विधि द्वारा आमेलन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में सरकारी संस्कृत सेवा कर तुके व्यक्ति अथवा सरकारी संस्कृत सेवा के संबंधित क्षेत्र में उप-यातायात प्रबंधक/उप-प्रबंधक (प्रबालन) और सम्पत्त्व पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके हों और किसी महापत्रन चाप्स में यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में सहायकक के रूप में ₹ 20800-46500 तथा उप-प्रबंधक के रूप में ₹ 24900-50500 के वेतनमानों में 7 वर्ष की संस्कृत नियमित सेवा पूरी कर तुके व्यक्ति पदोन्नति के पात्र होंगे।	13
4	प्रबंधक	5	श्रेणी-I	32900-58000	चयन	42	ii. किसी औद्योगिक/वाणिज्यिक/सरकारी उपक्रम में नीवहन/कार्य प्रयोगलनाल एवं परिवहन के क्षेत्र में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	(ख) हों।	सरकारी सार्वजनिक उपक्रमों या स्थायताशील निकायों में समरक्ष पद अथवा उप-यातायात प्रबंधक तथा यातायात विभाग में संबंधित क्षेत्र में सम्पत्त्व पद पर ₹ 24900-50500 के वेतनमान वाली श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर तुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे।	13

चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय विधों में समय शैफ़ीकरण का दूसराम प्रयोग "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

## जबहरतात नेहरु पत्रन न्यास के प्रचलन विभाग में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र. सं	पदनाम पदों की संख्या	वर्गीकरण रेतग्राम (सं स्थापना)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	चयन अधिकारी भर्ती पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएं	निचारित (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति आमेलन तथा प्रतीनियुक्ति के प्रमाणे में भी लागू होगे	परिवेश की नियरित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अधिकारी आमेलन/पदोन्नति/आमेलन/प्रतीनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतीनियुक्ति की जाएगी। अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
5	पुरुष प्रबन्धक (प्रचलन)	1  श्रेणी-I  (विभागावधार)	51300- 73000	चयन	45  अधिकारी कीसी विश्विधालय से स्नातक की उपाधि । अधिकारिकी में स्नातक की उपाधि को वरेयता दी जाएगी।  ii. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संघर्ष में नीतिकार्यकालीन विभाग परिवहन क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं ।  (ख) हाँ ।  (ग) नहीं ।	लागू नहीं	संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतीनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।  iii. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संघर्ष में नीतिकार्यकालीन विभाग परिवहन क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतीनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।  iv. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संघर्ष में नीतिकार्यकालीन विभाग परिवहन क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।	संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के आधार पर या ऐसा न होने की स्थिति में प्रतीनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।  v. किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम के कार्यपालक संघर्ष में नीतिकार्यकालीन विभाग परिवहन क्षेत्र में 17 वर्ष का अनुभव।

संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के लिए जनेप यास के प्रचलन विभाग में या किसी महापत्रन यास में यातायात विभाग में 2 वर्ष की नियमित सेवा करने तुके यातायात प्रबन्धक अन्य रु.36800-62000 की वेतन श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा रु.43200-66000 की वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा रु.32900-55000 के वेतन श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा द्वारा करने तुके यातायात प्रबन्धक अन्य रु.32900-55000 की वेतन श्रेणी में 6 वर्ष की नियमित सेवा द्वारा करने तुके यातायात विभाग के अधिकारी पर दोनों द्वारा नहीं होना चाहिए ।

जवाहरलाल नेहरू पत्रकालीन के सिद्धिल अधिकारियों के विषय में श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती विनियम

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतानामन	संघीय भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	क्षयन अथवा ग्रन्थांचयन पद	संघीय भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ तथा (ग) अनुमति पदोन्नति, आमेलन तथा प्रतीनियुक्ति के मामले में भी लागू होगी	परिवेक्षा की निर्धारित वर्षों में अनुमति आवश्यक होने की विवरिति	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नतिःआमेलन/प्रतीनियुक्ति द्वारा)	दे पदकम जिनसे पदोन्नतिःआमेलन/प्रतीनियुक्ति की जाएगी ।	अन्युक्ति		
1	अधिकारि (प.यो.वि.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधिकारि (प.यो.वि.)	3	श्रेणी-।	20600-46500	चयन	30	अनिवार्यः (1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अधियाचिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समरक्ष योग्यता ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अधियाचिकी में डिलोमा अनिवार्य है । (ग) नहीं ।	2	21 अप्रृत्त.2012 तक सीधी भर्ती द्वारा-33.1/3% पदोन्नति द्वारा-66.2/3%	21 अप्रृत्त.2012 के बाद सीधी भर्ती द्वारा -66.2/3% पदोन्नति द्वारा-33.1/3%		
1	सहायक-प्रबंधक (प.यो.वि.)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक-प्रबंधक (प.यो.वि.)	6	श्रेणी-।	20600-46500	चयन	35	आवश्यकः i.किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अधियाचिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समरक्ष योग्यता । ii.किसी औद्योगिक / वाणिज्यिक / सरकारी उपक्रम संवर्ग में योजनानिर्माण /अधिकल्पना/ अनुरक्षण का विशेषतः पत्रान और समुद्री संरचनाओं का 5 वर्ष का अनुमति	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अधियाचिकी में डिलोमा अनिवार्य है । (ग) नहीं ।	पदोन्नति द्वारा न होने की स्थिति में आमेलन/प्रतीनियुक्ति द्वारा, दोनों द्वारा न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा ।	पदोन्नति द्वारा कर चुके अधिकारी से, ऐसा न होने की स्थिति में रु20600-46500 की वेतन श्रेणी में 2 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी (प.यो.वि.) सपदा अधिकारी जो योउना एवं विकास विभाग के संबंधित क्षेत्र में अधिकारी के रूप में रु.20600-46500 तथा सहायता के रूप में ₹.16400-40500 के वेतन मान में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति होती ।	किसी महापत्रन न्यास में उपर्युक्त अनुबंध रखने वाले द्वारा समरक्ष एवं धारित करने वाले अधिकारी अथवा फैडबूक पद से आमेलन/प्रतीनियुक्ति की जाएगी ।		

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देवतनमान (से)	चयन अध्यव चयन पद	सीधी भर्ती के लिए योग्यताएं	सीधी भर्ती के लिए अधिकृतम् आयु सीमा (वर्ष)	क्षया सीधी भर्ती के लिए नियमित आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यता तथा (ट) अनुभव पदान्वति, आगेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मानदें में भी लापू होगा	भर्ती का तरीका		(रोपित भर्ती द्वारा अन्वय पदान्वति/आगेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदकम रितिरेपें द्वारा अग्रलन/प्रतिनियुक्ति आगुन्ति की जाएंगी।	
									देवतनमान नियमित सेवा के द्वारा न होने की सीधी भर्ती में 4 वर्षों की नियमित सेवा के द्वारा न होने की सीधी भर्ती द्वारा ।	देवतनमान नियमित सेवा के द्वारा न होने की सीधी भर्ती द्वारा ।			
1	2	3	4	5	6	7			9	10	11	12	13
3	उप- प्रबंधक (प.यो.टि.)	3	श्रेणी-I	24900- 50500	चयन	40	अनिवार्यः i. किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता । ii. किसी औद्योगिक /वाणिज्यिक / सरकारी उपकरण के कागजपत्रक सचार्त में घोरनालिमण /अधिकलन/अनुरक्षण का विषयतः पत्रन और रमुदी सरचनाओं का, 9 वर्ष का अनुभव ।	(क) नहीं । (ख) नहीं, किन्तु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से सिविल अभियांत्रिकी में डिल्लोमा अभियार्थ है ।	02	पदोन्नति द्वारा न होने की सीधी भर्ती में आगेलन/प्रबंधक (प.यो.टि.) ऐसा न होने की द्वारा प्रबंधक (प.यो.टि.) वेतन श्रेणी में 2 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके सह-प्रबंधक (प.यो.टि., जो पर्याप्त विधायक के सर्वोत्तम क्षेत्र में अधीकृत के रूप में रु 20500- 46500 तक सहायता प्रबंधक के रूप में रु 20500- 46500 तक सहायता प्रबंधक के रूप में 9 वर्षों की सायुक्त नियमित सेवा कर चुके व्यक्तियों में से पदोन्नति होगी ।	(ग) नहीं ।		

किसी महापालन व्यक्ति में उपर्युक्त अन्वय के  
सम्बन्धीय पद धारित करने वाले अधिकारी  
अथवा कौड़र पद से पदोन्नति की जाएंगी ।



क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण वेतनमान (अ.)	चयन अधिकारी के सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ऐकाधिक रुप्य अन्य विविधित (क)	चयन अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ऐकाधिक रुप्य अन्य विविधित (क)	चयन अधिकारी की सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ऐकाधिक रुप्य अन्य विविधित (क)	परिवेश की नियमिति अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति होना)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	अधिकारी			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	
५	मुख्य प्रबंधक (प.यो.वि.)	१	श्रीगी-१ (विभागाध्य) ५1300- ७3000	चयन अधिकारी के लिए आवश्यक विविधित विविधातय /संस्था से सिविल अधिकारीको भै रजातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	लागू नहीं।	संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापतन व्यास में सिविल अधिकारीको / प.यो.वि. विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा श्रेणी ॥ के फलाने में इस श्रेणी में मुख्य अधियता पद पर २ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा ₹36600-6200 की वेतन श्रेणी में ४ वर्ष की नियमित सेवा पुरी कर चुके अधिकारी अथवा ₹32900-58000 की वेतन श्रेणी में ५ वर्ष की नियमित सेवा पुरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।	संयुक्त विवि द्वारा आमेलन के लिए किसी महापतन व्यास में सिविल अधिकारी / प.यो.वि. विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा श्रेणी ॥ के फलाने में इस श्रेणी में मुख्य अधियता पद पर २ वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी अथवा ₹36600-6200 की वेतन श्रेणी में ४ वर्ष की नियमित सेवा पुरी कर चुके अधिकारी अथवा ₹32900-58000 की वेतन श्रेणी में ५ वर्ष की नियमित सेवा पुरी कर चुके अधिकारी पात्र होंगे।					

द्यन योग्यता के अधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक गोपनीय विपरीते में समय श्रेणीकरण का नन्दनम् यापदावड "बहुत अच्छा" से नीचे नहीं होना चाहिए।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अश्वा शेर-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए अवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ आयु सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/अमेलन/प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होते हैं।	परिवेश की निवासित अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति/अमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/अमेलन/अनुमति प्रतिनियुक्ति की जाएगी।			
										पदोन्नति	अमेलन	अनुमति	
1	विविक्तसा अधिकारी	4	श्रेणी-I	20600-46500	लागू नहीं	35	(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एमवीबीएस की उपाधि अधिकारी (दत्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि	9	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	
							(2) एक वर्ष की इटनिशिप पूरी करने के बाद किसी अस्पताल में एक वर्ष का अनुमति						
							संछनीय :						
							किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर चिकित्सा उपाधि / डिलोमा						
1	वरिष्ठ	3	श्रेणी-I	20600-46500	चयन	40	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि   अधिकारी (दत्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीडीएस की उपाधि	9	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा यह होने की स्थिति में रु. 20600-46500 के बेतन मान से 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर तुके चिकित्सा अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे।		
2	(क) चिकित्सा अधिकारी (सामाजिक जनर्मट)	1	श्रेणी-I	20600-46500	चयन	40	(2) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि   अधिकारी (दत्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमवीबीएस की उपाधि	9	लागू नहीं	2	पदोन्नति द्वारा यह होने की स्थिति में रु. 20600-46500 के बेतन मान से 5 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर तुके चिकित्सा अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे।		

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण वेतनमान (रु.)	संगी भर्ती के लिए अन्य लाभ-चयन	संगी भर्ती के लिए अन्यथक शैक्षणिक तथा अन्य लाभ-चयन	दस्य गोदी भर्ती के लिए नियांत्रित (क) आयु सीमा, (ख) ऐकांशिक याचयतापूर्त्या (ग) अनुमति पदनामी, अमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लापू होये	परिवेश की नियांत्रित अवधि (वर्षों में) प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	भर्ती का तरीका (संक्षी भर्ती द्वारा अथवा पदनामी/अमेलन /प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम निन्दसे पदनामी/अमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी।				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	वरिष्ठ अधिकारी (विशेषज्ञ)	3	श्रेणी-।	20600- 46500	लापू नहीं	लापू नहीं	1) किसी मान्यतापूर्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की उपाधि अथवा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (दस्त) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से टीडीएस की उपाधि 2) किसी मान्यतापूर्त विश्वविद्यालय से निवैदित विशेषज्ञ में चिकित्सा की स्नातवोत्तर उपाधि डिल्टोमा।	संगी भर्ती द्वारा	2	प्रायः में नियांत्रित के लिए सरकृत द्वारा में स्नातकोत्तर उपाधि तथा विविध अधिकारी प्रविचार किया जाएगा। ऐसा कहने की विधिप्रति में पद को विधिप्रति करके भरा जाएगा।			
							1) राजात्मकोत्तर उपाधि द्वारक अमीदवारों के लिए संविधान विविधता द्वारा में 3 कई का दशा स्नातकोत्तर डिल्टोमा द्वारा के उपाधिरूप में लिए 5 कई का स्नातवोत्तर अप्रैल। ।						

## जवाहरलाल नेहरू पत्रक संस्करण में विविक्त साधिकारियों के लिए भर्ती विविषण

क्र. सं	पदनाम	एवं नई संस्करण	वर्गीकरण	वेतनमान (₹)	चयन अवश्यक शायरी अन्वयन	संधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य शायरी	वेतनमानमात्रा अनुसार संधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य शायरी	परिचेक्षा की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (संधी भर्ती या पदोन्नति आमतौर परिवर्तन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी)	वे पदक्रम जिससे पदोन्नति आमतौर परिवर्तन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अनुचित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	उप-पुर्व विविक्त साधिकारी (क्र.)	1	क्रेपी।	24900-50500	चयन	(क) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर अवैतन/प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने पर संधी भर्ती द्वारा	वरिष्ठ विविक्त साधिकारी (समान्य छट्टूटी) जो क. 20600-46500 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों और ऐसा न होने पर वरिष्ठ विविक्त साधिकारी (समान्य छट्टूटी) जो क. 20600-46500 के वेतनमान में 2 वर्ष तथा चिकित्सा अधिकारी के रूप में 20600-46500 के वेतनमान में तथा क. 20600-46500 के वेतनमान में वरिष्ठ विविक्त साधिकारी के रूप में 9 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, उनमें से पदोन्नति की जाएगी।	13	
						(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पृष्ठ शी.बी.एस. की उपाधि या उपर्युक्त विविक्त साधिकारी (देवत) के लिए गोदौरेस की उपाधि।	(2) एक वर्ष की इर्टाशिप खत्म होने के बाद किसी अस्ताल में 9 वर्ष का अनुग्रह	अनिवार्यः किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विविक्त साधिकारी की स्नातकोत्तर उपाधि/डिलेमा।			

जनाहरलाल नेहरू पत्रन न्यास के चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के लिए भर्ती विनियम

क्र. सं	पदनाम	पदवी की सख्त्या	वर्गीकरण	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अन्धा शर्त	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य योग्यताएँ	परिवेश का तरीका		(भौती भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी	अन्युक्ति
									परिवेश की अवधि (वर्ष में)	(भौती भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त द्वारा)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3 (छ)	उप-मुख्य चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ)	2	ब्रेफी-1	24900-50500	चयन	42 अभिवाद्य:	(क) नहीं । (ख) हाँ । (ग) हाँ ।	(2) किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञाताय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि ।  (3) किसी मान्यता प्राप्त विशेषज्ञाताय से निर्दिष्ट विशेषज्ञाता में चिकित्सा की स्नातकोत्तर उपाधि/डिलोमा ।  (4) स्नातकोत्तर उपाधि धारक उम्मीदवारों के लिए संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र में 7 वर्ष का तथा स्नातकोत्तर डिप्लोमा धारक उम्मीदवारों के लिए 9 वर्ष का शैक्षणिक अनुभव ।	2 पदोन्नति द्वारा या ऐसा न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्त हर तथा दोनों से न होने पर सीधी भर्ती होती है ।	परिष्कृत विकल्प अधिकारी (विशेषज्ञ) जो रु. 20600-46500 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तुके हों और ऐसा न होने पर विष्ट विकल्प अधिकारी (सामान्य छवटी) जो संबंधित क्षेत्र में स्नातकोत्तर योग्यता रखते हों और इस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तुके हों, उनमें से पदोन्नति की जाएगी ।	परिष्कृत विकल्प अधिकारी (विशेषज्ञ) जो रु. 20600-46500 के वेतनमान में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तुके हों और इस श्रेणी में 4 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर तुके हों, उनमें से पदोन्नति की जाएगी ।		

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान (क)	दृष्टन अध्यात्र भैरव-दृष्टन पद	लेखी नीति के लिए अवश्यक शीलांकन तथा अन्य वाचनाएँ	क्षा सेवी भारी के लिए निर्दिष्ट तिर विकल्प	परिविक्षा की अवधि (वर्षों में)	यती का तरीका (सेवी नीति या भवोन्नति/प्रतिनियुक्ति आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	अन्तिम				
										वे पदक्रम जिनसे पदनामितीआमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	वे पदक्रम जिनसे पदनामितीआमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	1	श्रेणी-1	32900- 58000	चयन	45	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्विद्युत विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि । (3) किसी अस्पताल में विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का शैक्षणिक और अनुभव ।	(क) नहीं ! (ख) हाँ । (ग) नहीं ! (घ) हाँ ।	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए विस्तीर्ण महानगर नगर के विकल्प विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो रु. 24900-50500 के देतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों अथवा उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रु. 32900-58000 के देतनमान में विशेषज्ञता वाले समकक्ष पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा रु. 20600-46500 के देतनमान में विशेषज्ञता अधिकारी (विशेषज्ञ) और विशेषज्ञता वाले समकक्ष पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे ।	29100- 50500	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए विस्तीर्ण महानगर नगर के विकल्प विभाग में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जो रु. 24900-50500 के देतनमान में 3 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों अथवा उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रु. 32900-58000 के देतनमान में विशेषज्ञता वाले समकक्ष पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा तथा रु. 20600-46500 के देतनमान में विशेषज्ञता अधिकारी (विशेषज्ञ) और विशेषज्ञता वाले समकक्ष पद पर 7 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी पात्र होंगे ।	सरकारी-अधीकारी-सरकारी/सार्वजनिक उपकरणों व्यवायत-शासी निकायों में समकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (विशेषज्ञ) और विशेषज्ञता विभाग में समकक्ष पद पर रु. 24900-50500 की देतन श्रेणी में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे ।	नरिष्ठ ज्ञ-मुख्य विकित्ता अधिकारी भवनाम दिया जाएगा ।
5	उप प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	2	श्रेणी-1	32900- 58000	चयन	45	(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.बी.बी.एस. की उपाधि । (2) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निर्विद्युत विशेषज्ञता में स्नातकोत्तर उपाधि । (3) किसी अस्पताल में विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में 10 वर्षों का शैक्षणिक और अनुभव ।	(क) नहीं ! (ख) हाँ । (ग) नहीं ! (घ) हाँ ।	लागू नहीं	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए विस्तीर्ण महानगर नगर के विकल्प विभाग में समकक्ष पद धारित करने की विधियाँ न होने की स्थिति में सेवी भर्ती द्वारा ।	29100- 50500	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन के लिए विस्तीर्ण महानगर नगर के विकल्प विभाग में समकक्ष पद धारित करने की विधियाँ न होने की स्थिति में सेवी भर्ती द्वारा ।	नरिष्ठ ज्ञ-मुख्य विकित्ता अधिकारी भवनाम दिया जाएगा ।	

चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक योग्यता रिपोर्ट में समग्र क्षेत्रिकरण का न्यूट्रम प्राप्तदण्ड "बहुत अच्छा से नीचे नहीं होना चाहिए ।



**जबाहरताल नेहरू प्रतन चाल के संशोधी विभाग में (जहाज पर) श्रेणी-। के पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अधिकार	सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा (वर्ष)	सीधी भर्ती के लिए आयु- सीमा (वर्ष)	क्षया सीधी भर्ती के लिए नियांसित		परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदान्तिः/ आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जारी प्रतिनियुक्ति द्वारा) (क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुच्छेद पदान्तिः/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के भागों में भी लागू होंगे।	अनुदर्शक
								वेतनमान से दो घटकमें भिन्न से पदान्तिः/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जारी				
1	पायलट	6	श्रेणी-।	32900 - 58000	लागू, नहीं।	40	अनिवार्यः	लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	
1	पायलट	6	श्रेणी-।	32900 - 58000	लागू, नहीं।							

- i. भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विवेशगामी जलयानों के अधिपति का सम्मता प्राप्तान्तर अथवा भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई योग्यता।
- ii. विवेशगामी जलयान के अधिपति अथवा मुख्य अधिकारी के रूप में एक वर्ष का शैक्षणिक अनुच्छेद।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु)	चयन अथवा भैरव चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईकाइयां अन्य व्यवस्थाएँ	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईकाइयां अन्य व्यवस्थाएँ	परिवेश की अवृष्टि (वर्ष में)			भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आयोग आयोगिक प्रतिनियुक्ति की जाएगी	
								परिवेश की अवृष्टि (वर्ष में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आयोग आयोगिक प्रतिनियुक्ति की जाएगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	गोदी अधिपति	2	श्रेणी-I	36600 - 62000	चयन	43	अनिवार्यः	(क) नहीं । i. भारत सरकार के पौत्र परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी विदेशगांवी जलयानों के अधिपति का सदस्यता प्रमाणपत्र अथवा भारत सरकार के पौत्र परिवहन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त हस्तके समकक्ष कोई योग्यता । ii. पायलट का लाइसेंस और सभी प्रकार के जलयानों के संचालन में सक्षमता । iii. विदेशगांवी जहाज के पायलट अथवा अधिपति के लघु में 5 वर्ष का अनुबंध । iv. निकारण अधीक्षक के पद के लिए कुल 5 वर्ष के अनुबंध में से 1 वर्ष का अनुबंध निकारण के हेतु में अनिवार्य है ।			2	पदोन्नति द्वारा न होने पर या आयोग व्यापार प्रतिनियुक्ति द्वारा तथा दोनों से न होने किसी महाप्रसन्न व्यापार में समरक्ष पद वाहिक रूप से वाले अधिकारी अथवा ल. 29100-54500 के बेतनमान में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके पायलट आयोग प्रतिनियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।	

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकृत देवताशाल	संस्थानी भट्टी के लिए आवश्यक तथा अन्य चान्दोलनार्थी	संस्थानी भट्टी के लिए आवश्यक तथा अन्य चान्दोलनार्थी	क्षा सीधी भट्टी के लिए सिवारित (क) अयु चीण, (ख) श्रावणिक वार्ष्यांग तथा (ग) अनुष्व घोड़ेनार्ति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के बापले में भी लागू होंगे।	परिस्थेता की उपचारी (सीधी भट्टी या पदोल्लासि) आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा।	भट्टी का तरीका (सीधी भट्टी या पदोल्लासि) आमेलन/प्रतिनियुक्ति द्वारा।	वे पदक्रम जिनसे पदोल्लासि/आमेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी।	अनुचित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	बंदरगाह अधिकारी	1	झोणी।	43200-660000	चयन	45	अनिवार्य। i. भारत सरकार के पेत भरिवहन संचालन द्वारा जारी विदेशगामी जलयानों के अधिष्ठाते का संसाधन प्रयोगपत्र अयु भारत सरकार के पेत भरिवहन संचालन द्वारा मान्यताप्राप्त इसके सम्बन्ध कोई व्यवस्था। ii. पाइलट का लाइसेंस और विदेशगामी जलयान के अधिष्ठाते के लाय में या नीचलन का या संयुक्त लाय से कुल 8 वर्ष का अनुचय।	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन आवार पर या ऐसा न होने की वेतनमान में गोदी अधिकारी पाइलट निकाव अवधिक आदि जो 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा दोनों द्वारा न होने की विधि में सीधी भट्टी द्वारा।	संयुक्त विधि द्वारा आमेलन आवार पर या ऐसा न होने की वेतनमान में गोदी अधिकारी पाइलट विधि के बदलकर बदल कर बंदरगाह अधिकारी सार्वजनिक उपकरणों स्वाक्षरतासी निकावों में सम्बन्ध पर अध्या उपर्युक्त अनुचय वाले गोदी अधिकारी पाइलट / निकाव अधिकारी और जहाज पर इसके सम्बन्ध पर के अधिकारी जो उपर्युक्त अनुचय रखते हैं, प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	किसी पदक्रम में सम्बन्ध पद धारित करने वाले अधिकारी अयु का 36000-62000 के निकाव अधिकारी पाइलट विधि के बदलकर बदल कर बंदरगाह अधिकारी सार्वजनिक उपकरणों स्वाक्षरतासी निकावों में सम्बन्ध पर अध्या उपर्युक्त अनुचय वाले गोदी अधिकारी पाइलट / निकाव अधिकारी और जहाज पर इसके सम्बन्ध पर के अधिकारी जो उपर्युक्त अनुचय रखते हैं, प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	वरिष्ठ गोदी अधिष्ठाते के विधि के बदलकर बदल कर बंदरगाह अधिकारी सार्वजनिक उपकरणों स्वाक्षरतासी निकावों में सम्बन्ध पर अध्या उपर्युक्त अनुचय वाले गोदी अधिकारी पाइलट / निकाव अधिकारी और जहाज पर इसके सम्बन्ध पर के अधिकारी जो उपर्युक्त अनुचय रखते हैं, प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।



क्र. सं	पदनाम पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रु.)	चयन अथवा संयुक्त चयन पद	सोशी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य चारयताएँ	सोशी भर्ती के लिए आयु सीमा (वर्ष)	परिवेशका की अवधि			भर्ती का तरीका (सोशी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी	अमेलन वे पदक्रम जिससे पदोन्नति/आमेलन/ प्रतिनियुक्ति की जाएगी	
							(क) आयु सेपा, (ख) शैक्षणिक शोग्रताएँ तथा (ग) अनुच्छेद पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(क) आयु सेपा, (ख) शैक्षणिक शोग्रताएँ तथा (ग) अनुच्छेद पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(क) आयु सेपा, (ख) शैक्षणिक शोग्रताएँ तथा (ग) अनुच्छेद पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(क) आयु सेपा, (ख) शैक्षणिक शोग्रताएँ तथा (ग) अनुच्छेद पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	(क) आयु सेपा, (ख) शैक्षणिक शोग्रताएँ तथा (ग) अनुच्छेद पदोन्नति/आमेलन तथा प्रतिनियुक्ति के मामले में भी लागू होंगे	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	अधीक्षक (समुद्री अधिकारिकी)	2	श्रेणी-I	20600- 46500	चयन	30	अनिवार्यः मान्यता प्राप्त विद्यालय/संस्था से यात्रिका/विद्युत अधिकारिकी में उपाधि (ख) होंगी।	(क) नहीं। (ख) होंगी।	2	प्रतिनियुक्ति द्वारा या ऐसे न हो पाने की विधि में सीधी भर्ती होता।	रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में वात्रिक एवं विद्युत अधिकारिकी विभाग के अधीक्षक प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	सहायक प्रबंधक (समुद्री अधिकारिकी)	1	श्रेणी-I	20600- 46500	लागू नहीं	35	अनिवार्यः (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वौचर कीमिंग अधिकारता के रूप में 2 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा।	रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रेणी में सहायक प्रबंधक (समुद्री अधिकारिकी) के पद पर 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके व्यक्ति पदोन्नति के पात्र होंगे।	
3	उप-प्रबंधक (समुद्री अधिकारिकी)	1	श्रेणी-I	24900- 50500	चयन	40 वर्ष से अधिक नहीं।	अनिवार्यः (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी-II का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) विदेशगामी जलयान पर स्वतंत्र वौचर कीमिंग अधिकारता के रूप में 6 वर्ष का अनुभव।	(क) नहीं। (ख) होंगी। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति न होने पर या आमेलन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों द्वारा न होने पर सीधी भर्ती होता।	किसी महापतन चालस में समकक्ष पद शारित करने वाले अधिकारी अन्यां रु. 20600-46500 के वेतनमान में उप-समुद्री अधिकारी अधिकारी 4 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके अधिकारी आमेलन/प्रतिनियुक्ति के पात्र होंगे।	

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (क)	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईशांतिक तथा उन्हें दी जानी चाहिए तथा उन्हें दी जानी चाहिए	परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति आवेलन प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आवेलन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी				
								पदोन्नति	आवेलन	प्रतिनियुक्ति		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
4	वरिष्ठ उप-प्रबंधक (समुद्री अधिकारी)	1	श्रेणी-I	29100-54500	चयन	40	<u>अनिवार्य :</u> (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी एमओटी श्रेणी। का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जलयान पर मुख्य अधिकारी/हितीय अधिकारी के रूप में 1 वर्ष का संयुक्त अनुबंध।	लागू नहीं।	2	सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं।	
5	प्रबंधक (समुद्री अधिकारी)	1	श्रेणी-I	32900-58000	चयन	44	<u>अनिवार्य :</u> (i) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत जारी श्रेणी। का मोटर प्रमाणपत्र। (ii) किसी विदेशगामी जलयान पर मुख्य अधिकारी के रूप में 4 वर्ष या युख्य अधिकारी और हितीय अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का संयुक्त अनुबंध।	(क) नहीं (ख) हैं (ग) नहीं	लागू नहीं संयुक्त अधिकारी पर और ऐसा न होने पर अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्त आधार पर और दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं वेतनमान वर्ती श्रेणी में समुद्री अधिकारी के पद वर्ष 4 वर्ष की नियमित देया पूर्ण कर तुके अधिकारी आवेलन के पात्र होंगे।	लागू नहीं वेतनमान वर्ती श्रेणी में समुद्री अधिकारी आधार पर और दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं वेतनमान वर्ती श्रेणी में समुद्री अधिकारी के पद वर्ष 4 वर्ष की नियमित देया पूर्ण कर तुके अधिकारी आवेलन के पात्र होंगे।

चयन योग्यता के आधार पर होगा तथा उसके लिए वार्षिक नोपनीय दिनोंमें समय बेपिकरण का न्यूनतम मापदण्ड "बहुत अच्छा" से निचे नहीं होना चाहिए।

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	देतनमान (क)	चयन अध्यात्म-चयन पद	संस्था भर्ती के लिए चयन	संस्था भर्ती के लिए चयन	का सीधी भर्ती के लिए नियमित		परिवेक्षा की अवधि (सीधी भर्ती या घटेन्टिंग)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या घटेन्टिंग)	वे पदक्रम जिससे पदोन्नति आयोजित/प्रतिनियुक्त की जाएगी	अन्यथा आयोजित/प्रतिनियुक्त की जाएगी
								(क) आयु सीमा, (ख) शैक्षिक योग्यताएं तथा (ग) अनुबंध पदोन्नति/आयोजित तथा प्रतिनियुक्त के मामले में भी लागू होने	(क) आयु सीमा, (ख) शैक्षिक योग्यताएं तथा (ग) अनुबंध पदोन्नति/आयोजित तथा प्रतिनियुक्त के मामले में भी लागू होने				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	सहायक प्रबंधक (अग्नि एवं सुरक्षा)	1	श्रेणी-I	20600-46500	चयन	35	<b>अनिवार्य :</b> (i) राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय, नागपुर से अग्निशमन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष योग्यता ii) अग्नि एवं सुरक्षा इकाई में 5 वर्ष का कार्यकारी अनुबंध	लागू नहीं	2	सीधी भर्ती द्वारा			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	सहायक प्रबंधक (सुरक्षा)	1	श्रेणी-I	20600-46500	चयन	35	<b>अनिवार्य :</b> (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से यात्रिका/विद्युत/इलेक्ट्रॉनिक/रसायन अभियांत्रिकी या प्रोग्रामिकी में स्नातक की उपाधि। (2) विस्कोटक सामग्री और खतरनाक घाल के प्रदर्शन में सुरक्षा का कार्य करने वाली शैक्षिक उकाई या किसी पतन में 5 वर्ष का कार्यकारी अनुबंध (3) मान्यताप्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से औद्योगिक सुरक्षा में उपाधि या विद्योग्या वाञ्छीय : हिन्दी और मराठी का ज्ञान	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	अन्य विभागों से प्रतिनियुक्त द्वारा भर्ती न होने पर अन्य महापरमों से स्थानान्तरण प्रतिनियुक्त द्वारा या दोनों से न होने पर सीधी भर्ती द्वारा समकक्ष पद घासित करने वाले अधिकारियों या अधिकारी जो प्रचलन/सारिंज एवं विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हो, प्रतिनियुक्त के पात्र होंगे। फिरी मतापत्रन न्याय में समकक्ष पद घासित करने वाले अधिकारी अध्यक्ष ल. 20600-46500 के रेतनमान में अधिकारिक पंद्रह के समकक्ष पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा द्वारा घृणी कर चुके हो, प्रतिनियुक्त के पात्र होंगे।			

**जनधरणताल नेहरू पत्रकाल विभाग में शेषफ़ि। के पदों के लिए भर्ती नियम**

क्र. सं पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वर्तनमान (रु.)	चयन अधिकारी पर. द्वारा पद	संक्षील भर्ती के लिए आवृत्ति संस्था (वर्ष)	संक्षील भर्ती के लिए आवृत्ति संस्था (वर्ष)	वर्त्या संक्षील भर्ती के लिए नियापित	(क) आयु सीमा, (ख) शैक्षणिक योग्यताएं तथा (ग) अनुमत पदोन्नति आवृत्ति आवृत्ति प्रतिनियुक्ति के मापदंड से भी लागू होगे	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ आवृत्ति/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	प्रतिनियुक्ति की वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आवृत्ति प्रतिनियुक्ति की जाएगी	आवृत्ति
वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।	वर्त्या लागू नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उम्मीदवाल संस्थाएँ	1	श्रेणी-I	24900- 50500	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	मुख्य संस्थाएँ	1	श्रेणी-I (विशाखाध्याद्य)	51300- 73000	चयन	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।	लागू नहीं।

जब जवाहरलाल नेहरू पत्तन चास के विषयन प्रश्न में श्रेणी-1 के पदों के लिए भर्ती खिदमत

क्र. सं	पदनाम	पदों की संख्या	तरीकण	वेतनमात्र (रु.)	चयन अयवा गे-चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक ईशांतिक तथा अन्य योगसाराँ	क्षा सीधी भर्ती के लिए विभिन्न विधियों के द्वारा नियमित होने वाली श्रेणी में लिए आयु सीमा, वैज्ञानिक योग्यताएं तथा (ग) अनुभव पदोन्नति आवेदन तथा प्रतिनियुक्ति के पासले में भी लागू होगी	परिवेश की अवधि (वर्षों में)	भर्ती का तरीका (सीधी भर्ती या पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा)	वे पदक्रम जिनसे पदोन्नति/आवेदन/प्रतिनियुक्ति की जाएगी	आवृत्ति			
1	सहायक प्रबंधक (तिपान)	2	श्रेणी-I	20600-46500	चयन	अनिवार्यः (1) जनसमर्क या विपणन प्रबंधन में स्थानकान्तर उपचार। (2) किसी बड़े सेवा संगठन में जनसमर्क, प्रचार और अधिकृदि में 5 वर्षों का वैकाशणिक कार्यकारी अनुभव (3) हिन्दी और झरठी का कार्यसाधक ज्ञान	(क) नहीं। (ख) हाँ। (ग) नहीं।	2	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने पर आवेदन/प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों से न होने की स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा	रु. 20600-46500 के वेतनमात्र वाली श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हों, ऐसा न होने पर रु. 20600-46500 के वेतनमात्र वाली श्रेणी में उपचार के निजी समिति/प्रशासनिक अधिकारी जो इस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा तथा सामाज्य प्रवासन विभाग के संबंधित क्षेत्र में रु. 20600-46500 और ल. 16400-40500/रु. 13600-32400 के वेतनमात्र में 8 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन अधिकारियों में से ।	किसी महाप्रतन न्यास में खमकक्ष पद धारित करने वाले अधिकारी अथवा ल. 20600-46500 के वेतनमात्र में जन समर्क अधिकारी या अन्य समर्क पद पर 5 वर्षों की नियमित सेवा कर चुके हों ऐसे से आवेदन/प्रतिनियुक्ति होगी ।			
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

क्र. सं.	पदनाम	पदी की सदृश्या	वर्गीकरण	देतमान	चयन अधिकारी के लिए अक्षयक ईशांतिक तथा अन्य कागदताएँ	लक्ष्य सीधी भर्ती के लिए नियमित	परिवेश वर्षी अवधि (वर्षों में)	(सीधी भर्ती या पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी)	पदक्रम लिनसे पदोन्नति/आमेलन/प्रतिनियुक्त की जाएगी	अनुदित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
										13	
2	उप. प्रबंधक (विषयाल)	1	श्रेणी-	24900-50600	चयन 40 अनिवार्य :	(1) जनसम्पर्क या विषयाल प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि	(क) नहीं। (ख) हाँ।	पदोन्नति द्वारा भर्ती न होने पर आमेलन/प्रतिनियुक्त द्वारा, दोनों से न होने के स्थिति में सीधी भर्ती द्वारा नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या ऐसा न होने पर रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रीणि में सहायक प्रबंधक (विषयाल) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष पद के अधिकारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और संबंधित पद पर रु. 20600-46500 तथा रु. 20600-46500 के वेतनमान में 9 वर्ष की सेवुका नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से पदोन्नति होगी।	रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रीणि में सहायक प्रबंधक (विषयाल) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष अधिकारी जो 4 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों या ऐसा न होने पर रु. 20600-46500 के वेतनमान वाली श्रीणि में सहायक प्रबंधक (विषयाल) या सामान्य प्रशासन विभाग में समकक्ष पद के अधिकारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों और संबंधित पद पर रु. 20600-46500 तथा रु. 20600-46500 के वेतनमान में 9 वर्ष की सेवुका नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, से पदोन्नति होगी।		
						(2) किसी बड़े सेवा संगठन में जनसम्पर्क, प्रचार और अभिवृद्धि में 9 वर्ष का शैक्षणिक योग्यताएँ कार्यकारी अनुभव	(ग) नहीं।				
						(3) हिन्दी और मराठी का कार्यसाधक ज्ञान कम्प्यूटरीकृत कार्यालय में कार्य करने का अनुभव					

[फ. सं. पी अर-12012/12/2005-पी १-१]  
राजेश शीवरत्न, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING  
(PORTS WING)  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st January, 2011

**G.S.R. 43(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2011 made by the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST EMPLOYEES  
(RECRUITMENT, SENIORITY AND PROMOTION)  
REGULATIONS 2011**

**SCHEDULE**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations, namely

**1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT :**

- (1) These Regulations may be called the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011.
- (2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

**2. APPLICATION**

These regulations shall apply to all posts created under Section 27 of the Act under the Board including those covered by clause (a) of sub-section (1) of section 24 of the Act.

**3. DEFINITIONS**

In these regulations, unless the context otherwise requires

(a) "Act" means the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963).

(b) "Analogous post" means a post of which the duties and level of responsibilities and the pay ranges are comparable to those of the post to which selection is to be made.

- (c) "Appointing Authority" in relation to any grade or post means the authority empowered under the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988, to make appointment to that grade or post.
- (d) "Board", "Chairman", "Deputy Chairman" and "Head of Department" have the meanings respectively assigned to them under the Act.
- (e) "Class I Posts", "Class II Posts" "Class-III posts" and "Class-IV posts" shall have the same meanings as assigned to them in Regulation 4 of the Jawaharlal Nehru Port Trust Employees (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988.
- (f) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted from time to time under regulation 26 for the purpose of making recommendation for promotion to or confirmation in any grade or post.
- (g) "Direct Recruitment" means a person recruited on the basis of a competitive examination or test and/or interview by Services Selection Committee.
- (h) "Employee" means an employee of the Board.
- (i) "Grade" means any of the grades specified in the Schedule of employees prepared and sanctioned under Section 23 of the Act.
- (j) "Lien" means the title of an employee to hold on regular basis, either immediately or on the termination of a period or periods of absence, a post to which he has been appointed on regular basis and on which he is not on probation.

Provided that the title to hold a regular post shall be subject to the condition that the junior most person in the grade will be liable to be reverted to the lower grade if the number of persons so entitled is more than the posts available in that grade.

- (k) "Permanent Employee" means an employee who has been substantively appointed to a permanent post.
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these regulations.
- (m) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the meanings respectively assigned to them in Clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution of India.
- (n) "Select List" in relation to any grade or post means the select list prepared in accordance with regulation 13 for that grade or post.
- (o) "Selection Post" means a post declared as such under regulation 5 of these regulations.

- (p) "Services Selection Committee" means the Committee constituted under regulation 12 for the selection of candidates by means of a written test, a trade test and/or interview for appointment to posts reserved for direct recruitment.
- (q) "Temporary Employee" means an employee holding a temporary post or officiating in a permanent post or on probation in his appointment in the service of the Board.

#### **4. MANNER OF APPOINTMENT**

All appointments to the posts to which these regulations apply shall be made in accordance with the provisions of these regulations. Appointment may be made either by promotion or by absorption or deputation or direct recruitment. Deputation will be of employees from the Major Port, Central Government, State Government, autonomous bodies, Government Companies fulfilling the criteria of eligibility prescribed for the post. The normal period of the deputation is 3 years which is extendable to four years. In exceptional circumstances, this can be extended to five years.

Provided that the appointment in respect of posts treated as Heads of Department and posts one level below the HOD, all the vacancies shall be filled by 'Composite method of recruitment i.e through promotion / transfer/deputation on absorption basis failing which deputation and failing both by direct recruitment. The promotion / transfer on absorption will be from the officers from Major Ports fulfilling the criteria of eligibility prescribed in the schedule annexed to the regulation.

#### **5. SCHEDULES**

The manner of appointment i.e. whether by direct recruitment or by departmental promotion or absorption or deputation, the qualification, age, education, training, requirements of experience, classification of posts as selection posts or - non-selection posts and other matters connected with the appointments to various posts shall be shown in the Schedule annexed to these Regulations in respect of Class-I posts. In respect of Class-II, Class-III and Class-IV posts, the manner of appointment shall be as laid down by the Board from time to time. The Schedule shall also show the authorized permanent and temporary strength of the various grades as shown in the Schedule of Employees prepared under the provisions of Section 23 of the Major Port Trusts Act, 1963. This strength is liable to change from time to time under the provisions of the Section 27 of the Major Port Trusts Act, 1963. The eligibility requirements prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotion to the extent mentioned in Column 9 of the schedule and requirement of experience for promotion will be as prescribed in Column 12 of the schedule.

Provided that the prescribed upper age limits may be relaxed by the Central Government in case of HODs and by Chairman in all other cases for reasons to be recorded in writing for direct recruitment/ absorption/ deputation as under :

- (i) upto 5 years where the minimum experience prescribed is 10 years or more and upto 3 years where the minimum experience prescribed is 5 to 9 years.
- (ii) in the case of a candidate who is an ex-serviceman, i.e. ex-employee of India's Defence Forces, and who has put in not less than 6 months continuous service in the Defence Forces, upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, plus three years where the vacancy to be filled is a vacancy reserved for such ex-servicemen and dependants of those killed in action and upto the extent of the service rendered by him in the Defence Forces, where the vacancy to be filled is an unreserved vacancy; and
- (iii) in the case of a candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or other backward classes in accordance with such orders as the Central Government may issue from time to time in this regard.

Provided further that the requirement of experience is relaxable at the discretion of the Central Govt. in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

## **6. ROSTER OF VACANCIES**

A Roster shall be maintained for each grade to show whether a particular vacancy should be filled by direct recruitment or promotion. However, if a vacancy which is reserved for direct recruitment and cannot be filled by direct recruitment, it may be filled by promotion and the next vacancy will be filled by direct recruitment. Similar practice can be followed in the case of vacancy reserved for promotion but cannot be filled by promotion method.

## **7. RESERVATION**

- (1) Orders issued by the Central Government from time to time for reservation of posts under it, whether to be filled by direct recruitment or promotion in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall apply mutatis mutandis to all appointments covered by these regulations.
- (2) Orders issued by the Central Government from time to time for the reservation of posts under it in favour of other backward classes, ex-servicemen and dependants of those killed in action, Sportsmen and physically handicapped persons shall also apply mutatis mutandis to appointments covered by these regulations and to which direct recruitment is made.

**8. NATIONALITY, CHARACTER, PHYSICAL FITNESS ETC. FOR DIRECT RECRUITMENT :**

- (1) In order to be eligible for direct recruitment to any grade or post, a candidate must be
- (a) a Citizen of India; or
  - (b) a subject of Nepal; or
  - (c) a subject of Bhutan; or
  - (d) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
  - (e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to category (a) shall produce such proof of his nationality as the Chairman may, from time to time require. Provided further that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India;

Provided also that a candidate in whose case the proof of nationality or a certificate of eligibility is necessary, may be provisionally appointed, pending the production by him of the necessary certificate in his favour from the Central Government, as the case may be. In such cases the provisional appointment shall not exceed a period of one year.

- (2) The Chairman may, with the prior approval of the Central Government, modify or waive any of the requirements of sub regulation (1) when an appointment for work of a special nature is to be made and it is not practicable to obtain a suitable candidate who fulfills the requirements of these regulations.
- (3) No person,
- (a) Who has entered into or contracted a marriage with person having a spouse living; or
  - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to any grade or post to which these regulations apply;

Provided that the Central Govt. in case of HODs and Chairman in all other cases may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

- \* (4) A candidate must satisfy the Appointing Authority that his character and antecedents are such as to make him suitable for appointment to any grade or post. No candidate who has been convicted by a Court of Law for an offence involving moral turpitude or who has been adjudged as an insolvent shall be eligible for appointment to a grade or post.
- (5) A candidate shall be in good mental and physical health and free from any physical defects likely to interfere with the discharge of his duties as an employee of the Board. A candidate who after such medical examination as the Central Government, in case of Heads of Departments and Chairman in all other cases may specify, is found not to satisfy those requirements shall not be appointed.
- (6) If any question arises whether a candidate does or does not satisfy all or any of the requirements of this regulation, the same shall be decided by the Central Government, in case of Heads of Department and Chairman in all other cases.

#### **9. ELIGIBILITY OF EXSTING EMPLOYEES FOR DIRECT RECRUITMENT**

When the posts required to be filled by direct recruitment are advertised, employees already in service may also apply, provided they possess the prescribed qualifications and experience. Age limit in such cases will not apply.

#### **10. ADVERTISEMENT OF VACANCIES :-**

- (1) Vacancies of Class-III and Class-IV Posts to be filled by direct recruitment shall be notified to the local Employment Exchange. In case sufficient number of eligible and suitable candidates are not available, the vacancies shall be advertised in Newspaper published within the State. Class-I and Class-II posts intended to be filled by direct recruitment shall be advertised in national and local daily and/or Employment News.
- (2) The crucial date for determining the qualification, experience and age shall be the first day of the month in which the post is notified/advertised unless otherwise specified.

**11. CONDUCT OF WRITTEN OR SKILL TESTS IN CERTAIN CASES**

The Appointing Authority may decide whether a written or a skill test or both should be held and also name the officer who should hold the said test and the manner in which the test should be held and other details thereof. It shall be open to the Appointing Authority to engage a Consultant or a firm of Consultants to conduct a written or skill test.

**12. SERVICES SELECTION COMMITTEE :**

- (1) There shall be a Services Selection Committee for each grade or posts, as mentioned in sub-regulation (2) to conduct interviews of eligible candidates for making selection of candidates for appointment to different posts by direct recruitment.
- (2) The category of posts and the composition of the Services Selection Committees referred to in sub- regulation (1) shall be the following, namely:

**a) For Heads of Department**

Joint Secretary(Ports) of the Ministry of Shipping - Chairman

Chairman of the Port - Member

Any other Port Chairman or an officer having wide experience in the field to be nominated by the Ministry of Shipping - Member

Representative of Scheduled Caste / Scheduled Tribe and Other Backward Classes nominated by the Ministry of Shipping - Member

**b) For Class I Posts**

Chairman - Chairman

Deputy Chairman - Member

Head of Department in charge of the Department in which the vacancy occurs. - Member

Head of Department in charge of the Personnel - Member

Representative of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe and Other Backward Classes nominated by the Chairman - Member

**c) For Class II Posts**

Deputy Chairman	- Chairman
Head of the Department in charge of the Department in which the vacancy arises	- Member
Head of the Department in charge of Personnel	- Member
Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes nominated by the Chairman	- Member

**d) For Class-III and Class-IV posts (Common Categories)**

Deputy Chairman or in his absence, Head of Department nominated by the Chairman of the Board	- Chairman
Head of Department in-charge of Personnel	- Member
A senior officer in the grade not below Rs.32900-58000 to be nominated by the Chairman.	- Member
Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes nominated by the Chairman	- Member

**e) For Class-III and Class-IV posts (Uncommon Categories)**

Head of Department, where the vacancy arises	- Chairman
Head of Department in-charge of Personnel	- Member
A senior officer of the concerned Division in the grade not below Rs. 32900-58000 to be nominated by the Chairman.	- Member
Representative of Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes nominated by the Chairman	- Member

The Appointing Authority may also nominate any person not in the service of the Board to be a member of a Services Selection Committee if such a person is specialised in the relevant field. Where any member of a Services Selection Committee is not available, the Appointing Authority may nominate another officer of appropriate level in his place to attend the meeting.

- (3) Where recruitment to vacancies in grades common to more than one department is made in a common selection the composition of the committee shall be decided by the Chairman in each case.

### **13. SELECT LIST**

The Services Selection Committee, may recommend, in the order of merit, as adjudged by it, the names of the selected candidates to be kept on a select list for consideration of appointment to posts earmarked for direct recruits. Such a list shall be deemed to be valid for a period of 12 months from the date on which the list is approved by the Appointing Authority. It is open to the Appointing Authority to extend the validity of the list for a period not exceeding six months or until a fresh select list is approved whichever is earlier.

### **14. CONSIDERATION OF RECOMMENDATIONS OF SERVICES SELECTION COMMITTEE AND ADHOC APPOINTMENTS**

All appointments by direct recruitment shall be made by the Appointing Authority on the recommendations of the concerned Services Selection Committee.

Provided that it shall be open to the Appointing Authority, for reasons to be recorded in writing, not to accept the recommendations of Services Selection Committee.

Provided further that where the Appointing Authority is an authority subordinate to the Chairman and the authority disagrees with such recommendation in any case, it shall record its reasons for such disagreement and submit the case to the Chairman who shall decide the same.

Provided also that in the case of a purely temporary post, a leave vacancy or a vacancy earmarked for direct recruitment requiring immediate filling up, the Chairman may appoint a person who is eligible to fill the vacant post for a period of six months at a time and not exceeding one year on adhoc basis subject to the condition that -

- (1) Ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.
- (2) Total period of appointment to a temporary post will not exceed the tenure of the post.
- (3) In other cases the temporary appointment should be replaced by a regular appointment from the select list as soon as possible.

**15. CANVASSING SUPPORT A DISQUALIFICATION**

Any endeavour on the part of a person to canvass support by direct or indirect method for appointment to a post or for promotion to a higher post shall disqualify him for the appointment or promotion.

**16. SUPPRESSION OF FACTS A DISQUALIFICATION**

Any candidate who is found to have knowingly furnished any particulars which are false or have suppressed material information of a character, which if known would ordinarily have debarred him from getting an appointment to a grade or post is liable to be disqualified and, if appointed, to be dismissed from service.

**17. CANCELLATION OF APPOINTMENT ORDER**

If a candidate selected for the post earmarked for direct recruits fails to join duty within the date mentioned in the offer of appointment and where no such date is mentioned, within 30 days of the date of issue of the offer of appointment or within such extended period as the Appointing Authority may agree, the offer of appointment shall be deemed to have been cancelled.

**18. PAYMENT OF TRAVELLING ALLOWANCE FOR ATTENDING INTERVIEW**

In the case of posts filled by direct recruitment, all journeys which the candidates (including persons already in the service of the Board) may have to perform for the purpose of written and practical tests or interviews shall be at their own cost. However, candidates belonging to Scheduled Castes or the Scheduled Tribes called for written or trade tests or interview shall be granted travelling allowance as per orders in this regard issued by the Central Government from time to time.

## 19. PROBATION PERIOD

- (1) Every person appointed to a post by direct recruitment or promotion or absorption shall, subject to the provisions of sub-regulation (2) and (3), be on probation for a period of two years except in case of persons appointed on absorption basis through composite method of recruitment in the posts of HODs and Dy. HODs carrying the scales of pay of Rs. 32900-58000 and above.

Provided that where the appointment itself is for a period specified in the appointment order, such appointment shall stand terminated on the expiry of such period, unless such period is extended by the appointing authority.

Provided that, when the appointment is made by the direct recruitment and the post carries a scale of pay, the maximum of which does not exceed Rs. 32,400/-, the period of probation shall be one year.

Provided that, there shall not be any probation in case of appointment by promotion within Class-III and Class-IV grades.

Provided further that, if an employee on probation to a grade or post is appointed to officiate in a higher grade or post, he shall be eligible to count the duration of his appointment to a higher grade or post to complete probation in his lower grade or post. Similarly, if an employee has previously been appointed to officiate in a grade or post he may on appointment to the similar grade or post on probation will be eligible to count such officiating period(excluding Ad-hoc services) to complete probation in the grade or post.

- (2) The period of probation may, if the Appointing Authority deems fit, be extended for a specific period at a time, but the total period of such extensions shall not, save where any extension is necessary by reason of any departmental or legal proceedings pending against the employee, exceed one year.
- (3) During the period of his probation an employee may be required to undergo such departmental training and pass such departmental tests as the Appointing Authority may, from time to time, specify in this behalf.

## **20. CONFIRMATION OF EMPLOYEES ON PROBATION**

### **(1) *General***

- (i) Confirmation will be made only once in the service of an employee which will be in the entry grade.
- \* (ii) Confirmation is delinked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words an officer who has successfully completed the probation may be considered for confirmation.

### **(2) *Confirmation in the grade to which initially recruited***

- (i) As at present, the appointee should satisfactorily complete the probation.
- (ii) The case will be placed before DPC (for confirmation).
- (iii) A specific order of confirmation will be issued when the case is cleared from all angles.

### **(3) *On Promotion***

- (i) If the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer promoted on regular basis (after following the prescribed DPC, procedure etc.) will have all the benefits that the person confirmed in that grade would have.
- (ii) Whether probation is prescribed, the Appointing Authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If, work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time, he may revert him to the post or grade from which he was promoted, or extend the period of probation as the case may be.

Since there will be no confirmation on promotion before an official is declared to have completed the probation satisfactorily, a rigorous screening of his performance should be made and there should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

**Confirmation of probationers :** A person appointed against a permanent post as direct recruit with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully complete the period of probation. The decision whether he should be confirmed or his probation extended should be taken soon after the expiry of

the initial probationary period, i.e., ordinarily within 6 to 8 weeks and communicated to the employee together with the reasons in case of extension. Even though the meetings of the DPC may be held after the termination of the period of probation of direct recruits, a person appointed against a permanent post with definite conditions of probation is to be confirmed in the grade with effect from the date on which he successfully completes the period of probation. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make severe efforts at self-improvement.

In the case of probation, the DPC should not determine the relative grading of officers but only decide whether they should be declared to have completed the probation satisfactorily. If the performance of any probationer is not satisfactory, the DPC may advise whether the period of probation should be extended or whether he should be discharged from service.

## **21. DISCHARGE OR REVERSION OF EMPLOYEES ON PROBATION**

- (1) If an employee on probation in his first appointment is not considered fit, on the basis of his conduct or performance, for confirmation at the end of the period of probation prescribed in regulation 19, he shall be discharged from the service of the Board.
- (2) If an employee on probation who holds a lien on a post and does not complete the period of probation as specified under Regulation 19 to the satisfaction of the Appointing Authority, he may be reverted to the post on which he holds a lien.
- (3) If an employee during the period of probation on a post is considered unfit for further retention in that post on the basis of performance or conduct or failure to pass the departmental test if prescribed, he shall be liable to be discharged from service at any time if he has no lien on any post or reverted to the post in which he holds a lien.

## **22. DEPARTMENTAL TEST FOR PROMOTION, CONFIRMATION IN CERTAIN CASES:**

The Chairman may specify, from time to time, the posts, confirmation in or promotion to which shall be subject to the passing of a qualifying departmental test, if any. The Chairman may also specify, from time to time, the details of the qualifying departmental test such as the procedure for holding the test, the syllabus for the test, the intervals at which the test shall be held, the maximum period within which the test shall be passed by the candidates, etc.

### **23. REVERSION DUE TO FAILURE IN DEPARTMENTAL TEST**

An employee promoted to a post shall pass such qualifying departmental test, if any, as may be specified by the Chairman from time to time, within such period, as may be specified by him failing which the employee shall be reverted. When the passing of a test is specified as a condition precedent to promotion to a higher post, no employee shall be considered for promotion to such a post, until he passes the prescribed test.

### **24. SENIORITY LIST**

An up-to-date seniority list indicating the relative seniority of the employees shall be maintained for each grade. The list shall indicate separately the permanent and temporary employees in each grade. The list shall be circulated every year.

### **25. FIXATION OF SENIORITY**

- (1) The seniority of persons directly recruited to a grade and persons appointed on the basis of departmental promotion shall be assigned inter-se seniority according to rotation of vacancies between direct recruits and promotees which shall be based on the quota of vacancies in the grade reserved for direct recruitment and promotion as indicated in the schedule. In cases where exchange of vacancies has been resorted to as per Regulation (6), the seniority will be as per the mode of filling up.
- (2) Direct recruits shall be ranked *inter se* in the order of merit in which they are placed in the select list on the basis of their performance in the examination or interview or both, the recruits of an earlier select list being ranked senior to those of a later select list.
- (3) Persons appointed against promotion quota of vacancies shall be ranked *inter se* according to the order in which they are approved for promotion by the Departmental Promotion Committee.
- (4) Notwithstanding anything contained in sub-regulations (1) to (3) above, the seniority already determined prior to the commencement of these regulations shall remain unaffected.

26.

DEPARTMENTAL PROMOTION COMMITTEE

- (1) There shall be a Departmental Promotion Committee for each grade or post to recommend a panel of employees for appointment to different posts by promotion in accordance with these regulations.
- \* (2) The composition of the Departmental Promotion Committee will be the same as that of the Services Selection Committee as laid down in Regulation 12 and the validity of the panel shall be the same as mentioned in Regulation 13.

27.

FIELD OF SELECTION FOR PROMOTION

- 1) Where one or more posts in a grade are required to be filled by promotion through selection method from employees holding posts in the feeder grade in accordance with the prescribed recruitment rules employees holding the eligible posts and having the prescribed qualifications and experience for promotion shall be considered for promotion if they fall within the zone of consideration.
- 2) The following procedure shall be observed while recommending employees for promotion through selection method:
  - a) The Departmental Promotion Committee (DPC) shall determine the merit of those being assessed for promotion with reference to the prescribed benchmark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit'. Only those who are graded 'fit' by the DPC shall be included and arranged in the select list in order of their inter se seniority in the feeder grade. Those Officers who are graded as 'unfit' by the DPC shall not be included in the select list.
  - b) The Departmental Promotion Committee shall also consider the cases of eligible employees who are on foreign service or on study leave.
  - c) The instructions issued by the Govt. from time to time on procedure to be followed in DPC proceedings in respect of Govt. servants shall mutatis mutandis apply.

Note:- For absorption to the post carrying pay scale of Rs. 32,900-58,000 and above and for which composite method of recruitment is adopted, the benchmark in the overall grading shall be 'Very Good'. In all other cases, the bench mark shall be 'Good'.

- 3) For promotion to non-selection posts, where no bench mark is specified, the criteria for selection shall be seniority-cum-fitness.

**28. ADHOC APPOINTMENTS**

In case of immediate necessity when a panel recommended by the Departmental Promotion Committee has been used up, the Appointing Authority may make a purely ad hoc appointment to a post, by appointing a senior most eligible and suitable employee in the feeder grade or post up to a period of six months at a time and not exceeding one year or till a new panel is recommended by the Departmental Promotion Committee whichever is earlier. The ad-hoc appointment, where unavoidable, should be made only strictly subject to fulfilling the qualifications, experience provided in the RRs.

**29. COMPASSIONATE APPOINTMENTS:**

Notwithstanding anything contained in these regulations, the Chairman may dispense with the normal procedure of recruitment prescribed in these regulations and appoint to a Class-III or Class-IV post the legitimate son or daughter or the surviving spouse of an employee of the Board, who dies while in service, if the person to be so appointed possesses the prescribed qualifications and experience and is otherwise found suitable.

**30. INTERPRETATION:**

In the application of these Regulations all the instructions of the Central Government as amended from time to time which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions issued from time to time by the Central Government which cover matters not specifically covered will be followed.

Where a doubt arises as to the interpretation of any of these regulations, the matter shall be referred to the Chairman for a decision.

**31. REPEAL AND SAVING**

All the regulations, procedures, practices, and customs corresponding to these regulations and in force immediately before the commencement of these regulations are hereby repealed.

Provided that any order made or action taken under the regulations, procedures, practices, and customs so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these regulations.

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT(MAIN ADMN.) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class-Ration	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Administrative Officer	4	Class-I	20800-46500	Selection	30	<b>Essential:</b> A degree from a recognised university.  <b>Desirable:</b> (i) Post Graduate degree/diploma in Personnel Mngt./ Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subject or degree in Law from a recognised University/institution. (ii) Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial/Covt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	Upto 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By Promotion - 66.2/3 %  After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Supdt. In the scale of pay of Rs. 13800-32400 with 5 years regular service in the grade.	
2	Assistant Manager (Admn.)	1	Class-I	20800-46500	Selection	35	<b>Essential:</b> (i) A degree from a recognised university.  (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Admn., Personnel, Industrial Relation etc. in an Industrial/ Commercial/Covt. Undertaking.  <b>Desirable:</b> Post Graduate degree/diploma in Personnel Mngt./Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subject or degree in Law from a recognised university/institution.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or post of Assistant Secretary Gr.-I in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	Period of Probation (in years)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Manager (Admn.)	1	Class-I	32900-58000	Selection	42	<b>Essential :</b> (i) A degree from a recognised university. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Adminn., Personnel, Industrial Relation etc. in an Industrial/ Commercial/Govt Undertaking  <b>Desirable :</b> Post Graduate degree/diploma in Personnel Mgmt./Industrial Relations/ Social Work/Labour Welfare or allied subjects or degree in Law from a recognised university/institution	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment		For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Manager/Dy Secretary and equivalent post in the respective discipline of GAD (such as Dy. Manager-Admn./Legal/personnel/ IRI/ Marketing/CRO/DY Estate Manager/Dy Chief Lw Officer/Personnel Officer) in the scale of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy Manager/Dy. Secretary and equivalent posts in the respective discipline of GAD with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 26600-46500 as Asstt. Manager or equivalent and Rs. 24900-50500 as Dy Manager or equivalent post in the respective discipline of GAD in a Major Port Trust, will be eligible.	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 29100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of number of posts recommended.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment (years)	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Chief Manager (Admn.) & Secy.	1	Class-I (HOD)	51300-73000	Selection	45	<u>Essential:</u> (i) A degree from a recognised university. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of General Admin., Personnel, Industrial Relation etc. in an industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Secretary in category-II posts with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 4 years regular service in the grade or officer holding posts in the scale of pay of Rs. 32900-58000 with 5 years regular service in the grade in the General Admin./Human Resources Devt./Legal Deptt. of a Major Port Trust will be eligible.	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not below "Very Good."

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT/PRIVATE SECRETARIES IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Whether Selection or Non-Selection	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks			
1	PS to Dy. Chairman	1	Class-I	20800-46500	Selection	30	Essential (i) A degree from a recognised university (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Five years experience as stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	9	10	11	12	13	
2	PS to Chairman	1	Class-I	20800-46500	Selection	35	Essential (i) A degree from a recognised university (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application (iv) Eight years experience as stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from PS to HOD in the scale of pay of Rs. 16400-40500 with 3 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years regular service in the grade in a Major Port.	Promotion from PA to HOD in the scale of pay of Rs. 16400-40500 with 3 years regular service in the grade. Absorption/deputation will be of Officers holding analogous post or feeder post with 3 years regular service in the grade in a Major Port.	12	13

Sr. No.	Name of Post	No. of Posts	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation).	In case of Promotion / Absorption /Deputation, Grade for which it made	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3	Sr. PS to Chairman	1	Cir Ass-I 24900-50500	Selection	40	Essential. (i) A degree from a recognised university. (ii) Proficiency in stenography and typewriting with a speed of 120/40 w.p.m. respectively (iii) Knowledge of Computer Application. (iv) Twelve years experience as stenographer/PA in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by Absorption/Deputation, failing both by direct recruitment.	13	12	13

Junction from PS to Chairman the scale of pay of Rs. 20600 - 6500 with 4 years regular service in the grade failing which PS to CH with 2 years regular service in the scale of pay of 20600-46500 and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs. 20600-46500 as PS to Chairman & Rs. 20600-46500 as PS to Dy. Ch./ Add PS to Chairman.

Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous post or holding posts of PS/Gr. PS in the scales of pay of Rs. 20600 - 46500 with 4 years regular service in the grade in a Major Port.

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF ADMINISTRATION DEPARTMENT (P&amp;R-HRD DIVISION) IN JAWAHARLAJ NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Post	S.G. & Posts	Class- I Posts	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment	Method of recruitment : (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	Period of Probation (if applicable)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	1 Personnel Officer:	2	Class-I	Rs. 10-46500	Selection	30	<b>Essential :</b> A degree from a recognised University/institution  <b>Desirable :</b> (i) Post Graduate degree/ diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/Social Work/Labour Welfare or allied subject or degree in Law from recognised University/institution (ii) Two years experience in executive cadre in the field of General Administration, Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial/Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2 By direct recruitment - 33.13% By Promotion - 66.25%	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.13% By Promotion - 66.25%	Promotion from Office Supdt. in the Scale of pay of Rs. 13600 - 32400 with 5 years regular service in the grade.
1	2 Labour Welfare Officer:	3	Class-I	Rs. 10-46500	Selection	30	<b>Essential :</b> (i) Degree from a recognised university (ii) Degree or diploma in Social Science from a recognised university/institution (iii) Knowledge of Marathi  <b>Desirable :</b> 2 years experience as a Labour Welfare Officer/Industrial Relations Officer in an Industrial/Commercial/ Govt Undertaking	(a) No. (b) Yes (c) No.	2 By direct recruitment - 33.13% By Promotion - 66.25%	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.13%	Promotion from Office Supdt. in the Scale of pay of Rs. 13600 - 32400 with 5 years regular service in the grade.
2	Labour Welfare Officer:	3	Class-I	Rs. 10-46500	Selection	30	<b>Essential :</b> (i) Degree from a recognised university (ii) Degree or diploma in Social Science from a recognised university/institution (iii) Knowledge of Marathi  <b>Desirable :</b> 2 years experience as a Labour Welfare Officer/Industrial Relations Officer in an Industrial/Commercial/ Govt Undertaking	(a) No. (b) Yes (c) No.	2 By direct recruitment - 33.13% By Promotion - 66.25%	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.13%	Promotion from Office Supdt. in the Scale of pay of Rs. 13600 - 32400 with 5 years regular service in the grade.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/v deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation/ Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Assistant Manager (Personnel / Industrial Relations)	2	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential: (i) Degree from a recognised university/institution.  (ii) Five years experience in executive cadre in the field of General Administration, personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial /Govt Undertaking.  Desirable: Post Graduate degree/diploma in Personnel Management/ Industrial Relations/Social Work / Labour Welfare or allied subject or Degree in Law from a recognised University / Institution.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by Absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Personnel Officer/ Administrative Officer/Labour Welfare Officer in the scales of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the grade.	Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts or Asstt. Personnel Officer(Gr. I) or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. In the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4	Deputy Manager (Personnel / Industrial Relations)	2	Class-I	24900-50500	Selection	40	Essential: (i) Degree from a recognised university/institution  (ii) Nine years experience in executive cadre in the field of General Admin., Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/ Commercial /Govt Undertaking	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by Absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Manager(Personnel / HRD / Administration / Legal) in the scale of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade failing which AM(Personnel / HRD / Administration / Legal) with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500 as Asstt. Manager & Rs. 20600-46500 as Officer in the respective discipline of Personnel / IR / Admin / Legal)	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Dy. Personnel Officer/Sr. Welfare Officer or equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500 as Asstt. Mgr. with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust	

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether Selection or Non-Selection	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Manager (P&R)	1	Class-I	32900-58000	Selection	42  Essential: (i) Degree from a recognised university/institution. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of General Admin., Personnel, Industrial Relations etc. in an Industrial/Commercial/Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Manager (Personnel/I.R.) / Personnel Officer or officers holding equivalent posts in the respective discipline of Pers. & I.R. Division in the Scales of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Mgr. (Personnel/I.R.) / Personnel Officer or equivalent officer in the respective discipline of Pers. & I.R. Div. with 2 years regular service in the Grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20600 - 46500 as Asstt. Manager and Rs. 24900-50500 as Dy. Manager in the respective discipline of Personnel & IR Division. Div. in a Major Port Trust will be eligible.	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 28100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of number of posts recommended.

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT/ESTATE DIVISION IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class- I	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether Selection or Non-Selection	Period of Probation (in years)	Method of recruitment / (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks		
1	Estate Officer	1	Class-I	20600-46500	Selection	30 Essential : Degree with a Post Graduate degree/diploma in Architecture/ Town and Country Planning or degree in Civil Engineering from recognised university / institution or corporate membership of Institution of Surveyor (India).		9	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By Promotion - 86.2/3 %  After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 66.2/3% By Promotion - 33.1/3%	10	11	12	13

Desirable :-

- (i) A degree in Law from a recognised university.
- (ii) Two years executive experience in Estate Management, Valuation or Land Records in an Industrial/ Commercial/Govt. Undertaking.

(c) No.

- (a) No.
- (b) No, however Diploma from a recognised university/ institution is essential.

Promotion from Estate Officer Gr-II or Asst. Engineer(PP&D) in the scale of pay of Rs. 16400-40500 with 3 years regular service in the grade or from Superintendent in the pay scale of Rs.20800-46500 from PP&D Department.

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT(LEGAL DIVISION) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Method of recruitment / Absorption/Absorption/ Deputation	Period of probation (in years)	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Assistant Manager (Legal)	1	Class-I	20800-46500	Selection	35	<u>Essential:</u> (i) Degree in Law from a recognised university. (ii) Five years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial/ Commercial/Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	Promotion from Officer in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 5 years regular service in the grade. Officers holding analogous posts will be of Officers holding analogous posts or Law Officer Gr-I or equivalent posts in the discipline of Legal Div in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	
1	Manager (Legal)	1	Class-I	32800-58000	Selection	42	<u>Essential:</u> (i) Degree in Law from a recognised university (ii) Twelve years executive experience in a Legal Establishment of an Industrial / Commercial/Govt Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. Organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Manager / Dy. Chief Law Officer or equivalent posts in the discipline of Legal Div. in the scale of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Chief Law Officer / Dy. Manager with 2 years regular service in the grade and a combined service of 7 years in the scale of pay of Rs. 20600-46500 as Asstt. Mgr and Rs. 24900-50500 as Dy. Mgr in the discipline of Legal Div. in a Major Port Trust will be eligible	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 28100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of the number of posts recommended.

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF HINDI CELL IN GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion/Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Assistant Manager (Official Language)	1	Class-I	20600-46500	N.A.	35	Essential: (i) Master's degree of a recognised university in Hindi with English as a subject at degree level OR Master's degree of a recognised university in English with Hindi as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi and English as a subject at the degree level OR Master's degree of a recognised university in any subject with Hindi medium and English as a subject at degree level	(a) N.A. (b) N.A. (c) N.A.	2	By direct recruitment.	N.A.	Desirable : Experience of Organising Hindi classes or workshops for noting and drafting or Journalism in Hindi.

**RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST**

96

**THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY** **539** [PART II—SEC. 3(I)]

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Promotion (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion/Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	1 Accounts Officer	8	Class-I	20800-46500	Selection	30	<b>Essential:</b> Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.  <b>Desirable:</b> Two years experience in executive cadre in the field of finance. Accounting in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a degree from a recognised University is essential. (c) No.	2	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33.1/3% By Promotion - 06.2/3 %  After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 06.2/3% By Promotion - 33.1/3%	Promotion from Office Superintendent In the scale of pay of Rs. 13800-32400 with 5 years regular service in the grade.		
1	2 Assistant Manager (Finance)	7	Class-I	20800-46500	Selection	35	<b>Essential:</b> Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.  <b>(i)</b> Five years experience in executive cadre in the field of finance. Accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a degree from a recognised University is essential. (c) No.	3	10	By Promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Accounts Officer. In the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 5 years regular service in the grade.	
1	3 Deputy Manager (Finance)	5	Class-I	24800-50500	Selection	40	<b>Essential:</b> (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India.  <b>(ii)</b> Nine years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a degree from a recognised University is essential. (c) No.	2	By promotion falling which by absorption/deputation, falling both by direct recruitment.	Promotion from Analogous post: Officer holding analogous post:- or post of Accounts Officer Gr.-I In the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 5 years regular service in the grade in a Major Port Trust.  Promotion from Asst. Manager In the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 4 years regular service in the grade falling which Asst. Manager in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 2 years regular service:- In the grade and a combined:- regular service of 6 years In the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 4 years regular service in the Finance Department.		
											Absorption/Deputation will be of Officer holding analogous post:- or post of Sr. Accounts Officer In the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 4 years regular service:- In the grade in a Major Port Trust.		

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Manager (Finance)	3	Class-I	32900-58000	Selection	42	<u>Essential :</u> (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Twelve years experience in executive cadre in the field of finances, accounting in an industrial/commercial/ Govt. Undertaking.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or Dy. Manager(Finance) / Dy. Chief Accounts Officer and Equivalent post in respective discipline of Finance Deptt. in scale of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust Or Dy. Manager(Finance) / Dy. Chief Accounts Officer and Equivalent post in respective Discipline of Finance Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scale of pay of Rs. 24900-50500 and Rs.20800 -46500 as Asstt. Manger and equivalent Post in respective discipline of Finance Deptt. In a Major Port will be eligible.	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 29100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of number of posts recommended.

No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks			
1	5 Chief Manager (Finance)	1	Class-I (HOD)	51300-73000	Selection	45	<u>Essential :</u> (i) Member of Institute of Chartered Accountants of India or of Institute of Cost and Works Accountants of India. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in the field of finance, accounting in an industrial/commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes, however Existing officers who are in service on the date of notification of this RR with SAS qualification will also be eligible. (c) No.	9	N.A	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment	F- For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or the post of FA&CAO in Category-II Posts with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 4 years regular service in the grade or officer holding posts in the scale of pay of Rs. 32800-58000 with 5 years regular service in the grade In the Finance Department of a Major Port Trust will be eligible.	12	11	13

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MANAGEMENT SERVICES DIVISION UNDER FINANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (Years)	Educational and other Qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	Superintendent (MS)	4 *	Class-I	20600-46500	Selection30	6	Essential : Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised University/institution or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution Desirable:- (i) Post Graduate Degree in Maths / Statistics / Operational Research / Economics or (ii) Post Graduate Degree in Computer Science or Computer Engineering or Systems or Information Systems or MIS or Information Technology or Computer Applications or Business Admin (PG degree/diploma) with specialization in Systems or Information Systems or MIS or Information Technology and allied subjects from a recognised university/institution (ii) Two years experience in Programming/Electronic Data Processing/Systems Analysis etc.	9	10	11	12	13	Promotion from Programmer, in the scale of pay of Rs 16400-40500 with 3 years regular service in the grade OR promotion from Programme Assistant Class-III employees in the scale of pay of Rs. 13600-32400 in the MS division with 5 years regular service in the grade  Promotion from Finance Officer, in the scale of pay of Rs 16400-40500 with 3 years regular service in the grade OR promotion from Programme Assistant Class-III employees in the scale of pay of Rs. 13600-32400 in the MS division with 5 years regular service in the grade  After 21st August, 2012 and failing both by direct recruitment By Promotion - 33 1/3%  After 21st August, 2012 By direct recruitment - 33 1/3% By Promotion - 66 2/3 %

\* These posts were approved in M&EE Department but same is operated in Finance Department in Management Services Division.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classi- fication	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non- Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether selection qualifications prescribed for direct recruitments (years)	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2	Assistant Manager (MIS)	3*	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential: (i) Degree in Computer Engineering/ Computer Sciences from a recognised university/institution or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution  Desirable:- (ii) Five years experience in Programming/Electronics Data Processing/System Design & Analysis and related fields		2	Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment				

\* These posts were approved in M&EE Department but same are operated in Finance Department in Management Services Division.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Deputy Manager (MS)	1*	Class-I	24900-50500	Selection	40	<b>Essential :</b> (i) Degree in Computer Engineering/ Computer Science; from a recognised university/institution or Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with post Graduate Diploma in Computer Application/Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/ Information Technology from recognised university/institution (ii) Nine years experience in Programming/Electronics Data Processing/System Design & Analysis and related fields	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	Promotion failing both by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asstt. Manager(MS) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the Grade failing which Asstt. Manager(MS) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in Rs. 20600-46500 as Superintendent & Rs. 20600-46500 as Asstt. Manager in the respective discipline of MS section.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Deputy Director(EPD)/Deputy Director (Research) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade in P&R Division in the Major Port Trust.	

\* This post were approved in M&EE Department but same is operated in Finance Department In Management Services Division.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational (c) experience for direct recruitment, will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Manager (MS)	1	Class-I	32900-58000	Selection/42		<b>Essential:</b> (i) Degree in Computer Engineering from a recognised university/institution or (Degree in Maths/Statistics/Operational Research/Economics with postgraduate Diploma in Computer Application/Computer Science/Information Technology from recognised university/institution. or Degree in Engineering with Post Graduate Diploma in Computer Application / Computer Science/Information Technology from recognised university/institution	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisation and failing both by direct recruitment	For absorption through composite method Officers holding analogous posts or Dy Manager(MS) and other officers working in the pay scale of Rs. 24900-50500 with 3 year's regular service in the grade in EDP division or Dy Manager(MS) and officers holding other equivalent posts in other Major Port Trusts with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 20500-46500 as Asstt Manager & 24900-50500 as Dy Manager or equivalent post in the respective discipline of EDP/MS Division will be eligible	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 29100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of number of posts recommended	

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MECHANICAL &amp; ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment (years)	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	Period of Probation (in years)	Remarks
1	Superintendent (Mechanical and Electrical Engineering )	8 *	Class-I	20600-46500	Selection	30	Essential : Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential. (c) No	Up to 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33 1/3% By Promotion - 68 2/3 %  After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 66 2/3% By Promotion - 33 1/3%	2	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made

\* The posts does not include 4 posts operated in Finance Department as Superintendent(MS).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Assistant Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	7 *	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential : (i) Degree or Equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (ii) Five years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised university/ institution is essential (c) No	By Promotion failing which by absorption/deputation, trailing both by direct recruitment.	2	Promotion from Superintendent(MS/E/Engg) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular services in the grade failing which Superintendent(ME/ Engg ) in the grade of pay of Rs. 20600-46500 with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 10 years in the scales of Rs. 20600-46500 as Superintendent & 16400-40500 as Asstt. Engineer in the respective discipline of MEC/ Engg Deptt.	Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts in respective discipline or feeder post with 5 years regular services in the grade in a Major Port Trust.

\* The posts does not includes 2 posts of Marketing Section operated in Administration Department.

\* The posts does not include 3 posts operated in Finance Department as Asstt. Manager(MS).

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Whether Selection or Non-Selection	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3	Deputy Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	4 *	Class-I	24900-50500	Selection	40	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (ii) Nine years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) No. However a diploma in Engineering in the relevant discipline from a recognised University/ Institution is essential. (c) No	2	By promotion failing which by absorption/depuration failing both by direct recruitment.	Promotion from Asstt. Manager(MAE Engg.) in the scale of pay of Rs. 26900-46500 with 4 years regular service in the grade failing which Asst. Manager (MAE Engg.) in the scale of pay of Rs. 26900-46500 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scale of pay of Rs. 26900-46500 as Asstt. Manager in the respective discipline in MAE Engg Deptt.		
4	Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	3 *	Class-I	32900-58000	Selection	42	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment.	For absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment. There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 25100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of the number of posts recommended.		
1	The post does not include 1 post of Marketing Section operated in Administration Department.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	3 *	Class-I	32900-58000	Selection	42	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment.	For absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment. There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 25100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of the number of posts recommended.		
1	The post does not include 1 post operated in Finance Department as Dy. Manager(MS).	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	3 *	Class-I	32900-58000	Selection	42	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical/Electronics & Communication Engineering from a recognised University / Institution (ii) Twelve years experience in relevant discipline in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes. (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment.	For absorption through Composite method failing which by depuration from other Govt. organisation and training both by direct recruitment. There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 25100-50500 to the pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of the number of posts recommended.		
1	The post includes 1 post of Management Services and operated in Finance Department as Manager(MS).	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

\* The posts includes 1 post of Marketing Section operated in Administration Department.

\* The posts does not include 1 post operated in Finance Department as Dy. Manager(MS).

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class-ification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks		
1	2	3	4	5	6	7	8	(a) No. (b) Yes. (c) No.	9	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.			
5	Chief Manager (Mechanical and Electrical Engineering )	1	Class-I (HOD)	51300-72000	Selection	45	Essential : (i) Degree or equivalent in Mechanical/Electrical / Electronics & Communication Engineering/Naval Architecture from a recognised university/institution or MOT 1 <sup>st</sup> class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (ii) Seventeen years experience in a managerial capacity dealing with Mechanical/Electrical/Marine Electronics Engineering works, out of which 10 years experience shall be in workshop undertaking maintenance of cargo handling equipment/electrical installation/ship repairs in any Major Port Trust/Industrial/Commercial Govt. undertaking	(a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	10	11	12	13		
											For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Chief Mechanical Engineer in Category-I posts with 2 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 32900-50000 with 5 years regular service in the grade in the Mac Engg Deptt and Marine Deptt (applicable to categories of marine engineers Only) in a Major Port Trust will be eligible. For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Mech. Engg and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 43200-65000 with 2 years regular service in the grade or officer holding posts of Dy. Chief Mech. Engineer and equivalent posts in the Mech. & Elec. Engg. Deptt. in the scale of pay of Rs. 32900-50000 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible.			
											The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".			
<b>RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF OPERATIONS DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST</b>														
Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class-ification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks		
1	Superintendent (Operations)	45	Class-I	20600-46500	Selection	30	Essential : A degree from a recognised University Preference will be given to Engineering Graduates Desirable : Two years executive experience in shipping/cargo operations/railway transportation in an industrial/Commercial/Govt. undertaking	(a) No. (b) Yes. (c) No	8	9	10	11	12	13

Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
2	Assistant Manager (Operations)	21	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential: (i) A degree from a recognised University Preference will be given to Engineering Graduate (ii) Five years executive experience in shipping/cargo operations/railway transportation in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Superintendent (Operations) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the grade failing which Superintendent(Operations) in the scale of pay of Rs 20600-46500 with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scale of Rs 20600-46500 as Superintendent & Engineer in the scale of Rs. 18400-40500 as Asstt Engineer in the respective Disciplines of Operations Deptt.
3	Deputy Manager (Operations)	11	Class-I	24900-50500	Selection	40	Essential: (i) A degree from a recognised University Preference will be given to Engineering Graduate (ii) Nine years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/Govt. undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	2	By promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	Absorption/deputation will be of officers holding analogous posts for post of Sr. Assistant Traffic Manager in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Whether Selection for Non-Selection	Whether educational qualifications prescribed for direct recruitment (a) age (b) education (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	P. or O. Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In Case of Promotion / Absorption, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Manager (Operations)	5	Class-I	32900-58000	Selection	42	Essential : (i) A degree from a recognised University Preference will be given to Engineering Graduate (ii) Twelve years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt organisation and failing both by direct recruitment	For absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt posts or post of Dy Traffic Manager/Operations and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy Traffic Manager/Dy Manager/Operations and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 24900-50500 to the extent of number of posts recommended	There would be automatic elevation of officers working in the Pay scale of Rs. 29700-50500 to the Pay scale of Rs. 32900-58000 to the extent of number of posts recommended
5	Chief Manager (Operations)	1	Class-I (HO)	51300-73000	Selection	45	Essential : (i) A degree from a recognised University Preference will be given to Engineering Graduate (ii) Seventeen years experience in shipping/cargo operations/railway transportation in executive cadre in an Industrial/Commercial Govt. Undertaking	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by direct deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt posts or post of Dy Traffic Manager in Category-II with 2 years regular service or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36500-42800 with 5 years regular service in the grade or officer holding posts in the scale of pay of Rs. 32900-58000 with 5 years regular service in the grade in the Operations Deptt. of INPT or in Traffic Department of a Major Port Trust will be eligible For deputation, Officers holding analogous posts or officers holding posts of Traffic Manager and equivalent post in Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 43200-56000 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy Traffic Manager and equivalent posts in Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs. 32900-58000 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs or Autonomous bodies will be eligible The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF PORT PLANNING &amp; DEVELOPMENT DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	Period of Probation (in years)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks	
1	Superintendent (PP&D)	3	Class-I	20600-46500	Selection	30	<b>Essential :</b> Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution.  <b>Desirable :-</b> Two years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking	(a) No. (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential. (c) No.	2 Upto 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 33. 1/3% By Promotion - 86. 2/3 %  After 21 <sup>st</sup> August, 2012 By direct recruitment - 86. 2/3% By Promotion - 33. 1/3%	12	13	Promotion from Assistant Engineer (PP&D) in the scale of Rs. 16400-40500 with 3 years regular service in the grade.	
2	Assistant Manager (PP&D)	6	Class-I	20600-46500	Selection	35	<b>Essential :-</b> (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Five years experience in executive cadre in Planning/ Construction / Design / Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial / Commercial / Govt. Undertaking.	(a) No (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential. (c) No.	2 By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	11	12	Promotion from Superintendent(PP&D)/ Estate Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the grade failing which Superintendent (PP&D)/Estate Officer in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of Rs. 20600-46500 as Supdt. & in Rs. 16400-40500 as Asstt. Engg. in the respective discipline of PP&D Deptt. or Estate Officer Gr-II.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Deputy Manager (PP&D)	3	Class-I	24800-50500	Selection	40	<b>Essential:</b> (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Nine years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) No, however a Diploma in Civil Engg. from a recognised University/ Institution is essential. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Asst. Manager (PP&D) in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 4 years regular service in the grade failing which Asst. Manager(PP&D) in the scale of pay of Rs. 20800-46500 with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 20800-46500 as Superintendent & Rs. 20800-46500 as Asst. Manager in the respective discipline of PP&D Deptt.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder post with experience as mentioned above in a Major Port Trust.

Sr. No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational qualification prescribed for direct recruitment	Whether (a) age, (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment's will apply in the case of Promotion/ Absorption/ Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Manager (PP&D)	3	Class-I	32900-58000	Selection	42	Essential : (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Twelve years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through Composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or post of Superintendenting Engineer/ Manager(PP&D) and Equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in the scale of pay of Rs.24900-50500 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Superintendenting Engineer / Dy. Manager(PP&D) and equivalent posts in the respective discipline of Civil Engg. Dept. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500 as Asst. Manager & Rs. 24900-50500 as Dy. Manager in the respective discipline of Civil Engg. Dept. in a Major Port Trust will be eligible	There would be automatic elevation of officers working in the pay scale of Rs. 29100-50500 to the pay scale of Rs. 32800-58000 to the extent of number of posts recommended

No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Chief Manager (PP&D)	1	Class-I (HOD)	₹1300-73000	Selection	45	Essential:- (i) Degree or equivalent in Civil Engg. from a recognised University/Institution. (ii) Seventeen years experience in executive cadre in Planning/ Construction/Design/ Maintenance preferably of Port and Marine Structures in an Industrial/Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method. Officers holding analogous posts or post of Chief Engineer in Category II ports with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36000-62000 with 4 years regular service in the grade or Officers holding posts in the scale of pay of Rs. 32900-58000 with 5 years regular service in the grade in the Civil Engineering / PP&D Deptt of a Major Port Trust will be eligible.	For deputation, Officer holding analogous posts or officers holding post of Chief Engineer and equivalent Posts in Civil Engg. Dep't. In the scale of pay of Rs. 43200-68000 with 2 years regular service in the grade or Officers holding post of Dy. Chief Engineer and equivalent posts in Civil Engg. Dep't. in the scale of pay of Rs. 32900-58000 and above with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi Govt./PSUs / Autonomous bodies will be eligible.	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRA will not be below "Very Good".

## RECRUITMENT RULES OF MEDICAL DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	Period of Probation (in years)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it should be made	Remarks:
1	2	3	4	5	6	7			9	10	
1	Medical Officer	4	Class-I	20600-46500	Not Applicable	35	Essential: (i) MBBS degree from a recognised university or for Medical Officer(Dental), BDS degree of a recognised University. (ii) One year experience in a Hospital, after completion of internship of one year Desirable : A post graduate medical degree/diploma from a recognised university.	Not Applicable	2	By direct recruitment.	Not Applicable.
1	2	3	4	5	6	7			10	11	
2(a)	Senior Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	20600-46500	Selection40	40	Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Sr. Medical Officer(Dental), BDS degree of a recognised University (ii) Five years experience in a Hospital, after completion of internship of one year Desirable : A post graduate medical degree/diploma from a recognised university	(a) No (b) Yes (c) No	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment	promotion from Medical Officer in the scale of pay of Rs 20600-46500 with 5 years regular service in the grade. Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 5 years experience in the grade in a Major Port Trust
2(b)	Senior Medical Officer (Specialist)	3	Class-I	20600-46500	N.A.	40	Essential: (i) MBBS degree from a recognised university or for Sr. Medical Specialist (Dental) BDS degree of a recognised University (ii) A post-graduate medical Degree/Diploma in the specified specialty from a recognised University (iii) Post qualification experience of 3 years for post graduate degree holders & 5 years for post graduate diploma holder in the relevant field of Specialisation	Not Applicable	2	By direct recruitment.	In the first instance Medical Officer having post-graduate qualification in the relevant field will be considered for the appointment failing which the post will be filled by open advertisement

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether Selection or Non-Selection	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	3(e) Deputy Chief Medical Officer (General Duty)	1	Class-I	24900-50500	42	Essential: (i) MBBS degree from a recognised University or for Dy. Chief Medical Officer(Dental), BDS degree of a recognised University.  (ii) Nine year's experience in a Hospital after completion of internship of one year.  Desirable: A post graduate medical degree/diploma from a recognised university.	(a) No (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (General Duty) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Medical Officer(G.D.) with 2 years regular service in the scale of pay of Rs. 20600-46500 and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500 as Sr. Medical Officer and 20600-46500 as Sr. Medical Officer.	Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or feeder posts with 4 years experience in the grade in a Major Port Trust.
1	3(b) Dy. Chief Medical Officer (Specialist)	2	Class-I	24900-50500	42	Essential: (i) MBBS degree from a recognised university.  (ii) A post-graduate medical degree/diploma in the specified specialty from a recognised university.  (iii) Post qualification experience of 7 years for post graduate degree holder and 9 years for post graduate Diploma holder in the relevant field of specialisation.	(a) No. (b) Yes. (c) No.	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Sr. Medical Officer (Specialist) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade failing which Sr. Medical Officer(General Duty) with post graduate qualification in the relevant field and 4 years regular service in the grade.	Absorption/Deputation will be of Officers holding analogous posts or holding the post of Sr. Medical Officer Specialist in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
4	Senior Dy. Chief Medical Officer	1	Class-I	32900-58000	Selection	45	Essential : (i) MBBS degree from a recognised university. (ii) A post-graduate medical degree in the specified specialty from a recognised university. (iii) Post qualification experience of 10 years in a Hospital, in the relevant field of specialisation.	9	10	11	12

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Class-I Iteration	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age, (b) educational qualifications, (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
5	Chief Medical Officer	1	Class-I (HOD)	₹1300-73000	Selection	50	(i) MBBS degree from a recognised University.  (ii) A post-graduate medical degree from a recognised University.  (iii) Post qualification experience of 16 years in a hospital.	(a) No.  (b) Yes  (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment	For absorption through composite method, Officers holding posts or on the post of Chief Medical Officer in Category-II with 2 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 36000-62000 with 4 years regular service in the grade or officers holding posts in the scale of pay of Rs. 32000-58000 with 5 years regular service in the grade in the Medical Dep't. in a Major IPon Trust will be eligible.	For deputation Officers holding analogous posts or officers holding post of Chief Medical Officer and equivalent post in Medical Dep't. in the scale of pay of Rs. 43200-66000 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Sr. Dy. Chief(Medical Officer) and equivalent Specialist Posts in the scale of pay of Rs. 32000-58000 and above in Medical Dep't. with 5 years regular service in the grade in Govt./Semi-Govt./PSUs or Autonomous Bodies will be eligible.	The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the IACRs will not be below "Very Good".

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE DEPARTMENT(DECK SIDE) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Pilot	6	Class-I	323000-58000	N.A.	40	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) One year post qualification experience as Master / Chief Officer of a foreign going ship.	9	2 By Direct recruitment.	N.A.	For promotion, Pilots with 5 years regular service in the grade are eligible. For absorption/deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Pilots in the scale of pay of Rs. 28100-54500 With 6 years regular service in the grade in Major Port Trust are eligible.
1	Dock Master	2	Class-I	36800-62000	Selection	43	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt. of India. (ii) Must hold Pilots license and have proficiency in handling all types of ships. (iii) 5 years experience as pilot or Master of a foreign going ship. (iv) For the post of Dredging Supdt., out of 5 years experience, 1 year experience in dredging is essential.	8	2 By promotion failing which by absorption/deputation failing both by direct recruitment.	10 11 12 13	For promotion, Pilots with 5 years regular service in the grade are eligible. For absorption/deputation, Officers holding analogous posts or holding posts of Pilots in the scale of pay of Rs. 28100-54500 With 6 years regular service in the grade in Major Port Trust are eligible.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	(a) No. (b) Yes (c) No.	9	10	11	For absorption by composite method officers holding analogous posts of Dock Master/Master Pilot/Dredging Superintendent etc. in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 2 years regular service in the grade in a Major Port are eligible.
3	Harbour Master	1	Class-I	43200-66000	Selection	45	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt. of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt of India. (ii) Must hold Pilots license and have 8 years experience either as Master of Foreign Going Ship or in Piloting or cumulative.	(a) No. (b) Yes (c) No.	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method officers holding analogous posts or holding posts of Dock Master/Master Pilot/Dredg. Supdt. and its equivalent Deck side post with experience as mentioned above in Govt IPSUs Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	The existing Sr. Dock Master will be re-designated as Harbour Master
4	Deputy Conservator	1	Class-I (HOD)	51300-73000	Selection	50	Essential: (i) Must hold a certificate of competency as Master of Foreign going ship issued by the Ministry of Shipping, Govt of India or an equivalent qualification recognised by the Ministry of Shipping, Govt of India. (ii) Must hold Pilot license and have experience of 10 years either or in Piloting or cumulative.	(a) No. (b) Yes (c) No.	N.A.	By absorption through composite method, failing which by deputation and failing both by direct recruitment.	For absorption by composite method officers holding analogous posts or holding post of Dy. Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 43200-66000 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Harbour Master in category-I Ports in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 4 years regular service in the grade in a Major Port Trust.	For deputation officers holding analogous posts or holding post of Dy. Conservator and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 43200-66000 with 2 years regular service in the grade or officers holding posts of Harbour Master and its equivalent Deck side post in the scale of pay of Rs. 36600-62000 with 4 years regular service in the grade in a Govt./Semi-Govt. IPSUs or Autonomous Bodies will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARINE DEPARTMENT(ENGINEERING SIDE) IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr No	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	Period of Probation (in years)	In Case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	1 Superintendent (Marine Engineering)	2	Class-I	20600-46500	Selection	30	Essential: Degree or equivalent in Mechanical / Electrical Engineering from a recognised University / institution.	(a) No. (b) Yes (c) No.	2	By deputation failing which By direct recruitment	Deputation from Superintendent in the scale of pay of Rs. 20600-46500 of Mechanical & Electrical Engineering Department.
1	2 Assistant Manager (Marine Engineering)	3	Class-I	20600-46500	N.A.	35	Essential: (i) MOT II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act. 1958  (ii) 2 years experience as independent Watch Keeping Engineer on board a foreign going ship	N.A.	2	By direct recruitment.	
1	3 Deputy Manager (Marine Engineering)	2	Class-I	24900-50500	Selection	Not exceeding 40	Essential: (i) MOT II Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act. 1958  (ii) 6 years experience as independent Watch Keeping Engineer on board a foreign going ship.	(a) No. (b) Yes (c) No.	2	By promotion failing which by absorption/deputation failing both By direct recruitment.	Promotion from the post of Asstt. Manager(M.E.) in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade holding analogous posts or Officers In post of Dy. Marine Engineer in the s-scale or pay of Rs. 20600-46500 in any Major Port Trust.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	2	3	4	5		6			7		8	
4	Sr. Dy. Manager (Marine Engineering)	1	Class-I	29100-54500	N.A.	40	Essential: (i) NOT I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958. (ii) 1 year post qualification experience as Chief Engineer/ 2nd Engineer on board a foreign going ship.	N.A.	9	10	11	12
5	Manager (Marine Engineering)	1	Class-I	32900-58000	Selection	44	(i) NOT I Class Motor Certificate issued under Merchant Shipping Act, 1958 (ii) 4 years experience as Chief Engineer or 5 years combined experience as Chief Engineer and 2nd Engineer on board a foreign going ship	(a) No. (b) Yes. (c) No.	9	10	11	12

Promotion from the post of 'Sr. Dy. Manager' (Marine Engineering) in the scale of pay of Rs. 29100-54500 with 14 years regular service in the grade.

Absorption through composite method will be of Officers holding analogous posts or Officers with 14 years regular service in post of Marine Engineer in the scale of pay of Rs. 29100-54500 in a Major Port Trust.

For deputation officers holding analogous posts or Officers holding post of Marine Engineers and its equivalents in Marine Engg side in the scale of pay of Rs. 29100-54500 with 4 years regular service in the grade in Govt./PSUs/ Autonomous bodies will be eligible

The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the AGRs will not be below "Very Good"

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF FIRE &amp; SAFETY WING OF MARINE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In case of Promotion / Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Assistant Manager (Fire & Safety)	1	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential (i) Degree in Engineer(Fire) from National Fire Service Collage , Nagpur or equivalent qualification. (ii) 5 years executive experience in Fire and Safety Unit. <u>Desirable</u> : Knowledge of Hindi & Marathi.	N.A	9	10	11	12
2	Assistant Manager (Safety)	1	Class-I	20600-46500	Selection	35	Essential (i) Degree in Mechanical/ Electrical/Electronics/ Chemical Engineering or Technology from a recognised University or Institution (ii) 5 years executive experience in a Port or similar Industrial Unit dealing with safety in handling explosive material or hazardous goods (iii) Degree or diploma in Industrial Safety from a recognised Institution or University <u>Desirable</u> : Knowledge of Hindi & Marathi	(a) No (b) Yes (c) No	2	By deputation from other department failing which by Transfer/Deputation from other Major Port Trust failing both by direct recruitment	Depatation from officers holding analogous posts or from the post of Superintendent in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in MPAE Engg Dept Officers holding analogous posts or officers with 5 years regular service in post comparable to Superintendent in the scale of pay of Rs. 20600-46500 in any Major Port Trust	

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF VIGILANCE DEPARTMENT IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Whether Selection or Non-Selection	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitment will apply in the case of Promotion/ Deputation/ Transfer.	Period of Probation (In years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by promotion / Deputation / Transfer)	In case of Promotion / Deputation/Transfer, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Deputy Chief Vigilance Officer	1	Class-I	24900-50500	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	10	11	12	13
1	Chief Vigilance Officer	1	Class-I (HOD)	51300-73000	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	9	10	11	12

## RECRUITMENT RULES FOR CLASS-I POSTS OF MARKETING DIVISION IN JAWAHARLAL NEHRU PORT TRUST

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age, (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/Deputation)	In Case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1	Assistant Manager (Marketing)	2	Class-I	20600-46500	Selection	35	<b>Essential:</b> (i) Post graduate Degree in Public Relations or Marketing Management. (ii) 5 years post qualification/ executive experience in a large service organisation in Public Relations, publicity and promotion (iii) Working knowledge of Hindi and Marathi. <b>Desirable:-</b> Exposure to computerised office working environment.	9	10	11	12	13

Promotion from PS to Dy. Chairman/ Admin. Officer/Personnel Officer/ L.W.O. in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the grade failing which PS to Dy. Chairman / Admin. Officer/Personnel Officer/ L.W.O. in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 2 year regular service in the grade and a combined regular service of 8 years in the scales of pay of Rs. 20600-46500 & Rs. 16400-40500/ Rs. 13600-32400 in the respective discipline of GAD.

Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Public Relation Officer and other equivalent posts in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 5 years regular service in the respective discipline in a MPT.

Sr. No.	Name of the Post	No. of Posts	Classification	Scale of Pay (Rs.)	Whether Selection or Non-Selection	Upper Age limit for direct recruitment (years)	Educational and other qualifications prescribed for direct recruitment	Whether (a) age (b) educational qualifications (c) experience for direct recruitments will apply in the case of Promotion/Absorption/Deputation.	Period of Probation (in years)	Method of recruitment (Whether by direct recruitment or by Promotion/Absorption/ Deputation)	In case of Promotion / Absorption/Deputation, Grades from which it Should be made	Remarks
1		2		3	4	5	6	(a) No (b) Yes. (c) No.	9	10	11	12
2	Deputy Manager (Marketing)	1	Class-I	24900-50500	Selection	40	Essential : (i) Post graduate Degree in Public Relations or Marketing Management. (ii) 9 years post qualification executive experience in a large service organisation in Public Relations, publicity and promotion. (iii) Working knowledge of Hindi and Marathi.  Desirable :- Exposure to computerised office environment	2	By Promotion failing which by absorption/deputation, failing both by direct recruitment.	Promotion from Assistant Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with 4 years regular service in the grade failing which Asst. Manager (Marketing) or equivalent post in GAD in the scale of pay of Rs. 20600-46500 with two years regular service in the grade and a combined regular service of 9 years in the scales of pay of Rs. 20600 -46500 as Asst. Mgr. And Rs. 20600 -46500 as Officer in the respective discipline of GAD.	Absorption/deputation will be of Officers holding analogous posts or Asst. Manager(Marketing) and other equivalent posts in the scale of pay of Rs 20800-46500 with 4 years regular service in the grade in Marketing Division in a Major Port Trust.	